UPM0010029972011

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–(संदीप गुप्ता–द्वितीय), जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 2636

सत्र परीक्षण संख्या–991/2018 (अग्रणी वाद)

उत्तर प्रदेश राज्य **--------अभियोजन पक्ष**

बनाम

1. पप्पू उर्फ महेश पहाडी पुत्र ईश्वर सिंह,
   निवासी–शक्तिनगर हरथला, थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद।

2. अमित कुमार पुत्र सोमवीर सिंह,
   निवासी–फत्तेहपुर, थाना छजलैट, जिला मुरादाबाद, हाल निवासी–आजादनगर निकट हड्डी मिल के पास, थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद ।

3. विकास कुमार पुत्र रामबाबू,
4. विमल कुमार पुत्र रामबाबू,
   निवासीगण–आदर्श कालोनी, थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद।

--------अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या–787/2018
धारा–302/34, 120 बी भा0 दं0 सं0
थाना–सिविल लाइन्स, जिला– मुरादाबाद।

एवं

UPM0010122082018

सत्र परीक्षण सं0–992/2018 (समेकित पत्रावली)

उत्तर प्रदेश राज्य **--------अभियोजन पक्ष**

बनाम

महेश पुत्र ईश्वर सिंह,

निवासी–हड्डी मिल के पास शक्तिनगर, थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद।

--------अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–804/2018
धारा–3/25 आयुध अधिनियम।
थाना–सिविल लाइन्स, जिला– मुरादाबाद।

Digitally signed by Sandeep Gupta
Date: 2026.03.11 16:55:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एवं

UPM0010122102018

सत्र परीक्षण सं0–993/2018 (समेकित पत्रावली)

उत्तर प्रदेश राज्य **--------अभियोजन पक्ष**

बनाम

अमित कुमार पुत्र सोमवीर सिंह,
निवासी–आजाद नगर निकट हड्डी मिल, थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद ।

--------अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–849/2018
धारा–3/25 आयुध अधिनियम।
थाना–सिविल लाइन्स, जिला– मुरादाबाद।

एवं

UPM0010122122018

सत्र परीक्षण सं0–994/2018 (समेकित पत्रावली)

उत्तर प्रदेश राज्य **--------अभियोजन पक्ष**

बनाम

महेश पुत्र ईश्वर सिंह,
निवासी–हड्डी मील के पास शक्तिनगर, थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद।

--------अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–803/2018
धारा–307 भा0 दं0 सं0।
थाना–सिविल लाइन्स, जिला– मुरादाबाद।

<u>निर्णय</u>

(1)– प्रस्तुत सत्र परीक्षण सं0–991/2018 में थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद द्वारा अभियुक्तगण पप्पू उर्फ महेश पहाडी, अमित कुमार, विकास कुमार एवं विमल कुमार के विरूद्ध धारा–302, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में, सत्र परीक्षण सं0–992/2018 में थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद द्वारा अभियुक्त महेश के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम में, सत्र परीक्षण सं0–993/2018 में थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद द्वारा अभियुक्त अमित कुमार के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम में एवं सत्र परीक्षण सं0–994/2018 में थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद द्वारा अभियुक्त महेश के विरूद्ध धारा–307 भा0 दं0 सं0 में आरोप पत्र प्रस्तुत कर अभियोजित एवं दण्डित किये जाने की याचना पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा सत्र परीक्षण सं0–991/2018, मु0 अ 0 सं0–787/2018 का प्रसंज्ञान दिनांक 31.10.2018 को, सत्र परीक्षण सं0–992/2018, मु0 अ 0 सं0–803/2018 का प्रसंज्ञान दिनांक 02.11.2018, सत्र परीक्षण सं0–993/2018, मु0 अ 0 सं0–849/2018 का प्रसंज्ञान 10.10.2018 एवं सत्र परीक्षण सं0–

994/2018, मु0 अ 0 सं0–804/2018 का प्रसंज्ञान दिनांक 04.10.2018 को लिया गया।

(2)– **सत्र परीक्षण सं0–991/2018 का संक्षिप्त विवरण :–**प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा शाहिद पुत्र नजीर अहमद, निवासी–मौहल्ला दर्जियान हरथला, थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद द्वारा थाना सिविल लाइन्स पर इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि "मेरे लड़के साजिद उर्फ सद्दाम से विकास और विमल निवासीगण आदर्श कॉलोनी, हरथला जिला मुरादाबाद का झगड़ा हो गया था और इसी रंजिश को लेकर करीब 15–20 दिन पहले विकास और विमल अपने साथ 10–15 लोगों को लेकर गालियां बकते हुए मेरे घर में घुस आये थे, विकास कह रहा था कि तूने मुझे सट्टे में पुलिस से पकड़वाकर अच्छा नहीं किया। विकास और विमल ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे लड़के साजिद उर्फ सद्दाम को गोली मारकर कत्ल करने की धमकी दी थी। महोदय दिनांक 03.08.2018 को समय रात्रि करीब 10 बजे काशीराम योजना कॉलोनी की ओर जाते हुए हड्डी मिल रेलवे फाटक पर साजिद उर्फ सद्दाम की विमल और विकास ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना को शहजाद पुत्र नजीर और मेरे लड़के राशिद ने देखा है। किसी ने इस घटना की सूचना 100 डायल पर कर दी थी। 100 डायल वाले मेरे लड़के को जिला अस्पताल लेकर आये, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गयी। साजिद उर्फ सद्दाम का शव मोर्चरी में रखा है। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करें।"

(3)– उपरोक्त तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद में मु0 अ 0 सं0–787/2018, अंतर्गत धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता अभियुक्तगण विकास व विमल के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना प्रारंभ की गयी। दौराने विवेचना विवेचक द्वारा एफ 0 आई 0 आर 0 की नकल केस डायरी में किता की तथा गवाहों के बयान अंकित किये तथा विवेचना में नामित अभियुक्तगण विकास व कमल तथा प्रकाश में आये अभियुक्तगण पप्पू उर्फ महेश पहाडी एवं अमित कुमार के विरुद्ध विवेचक द्वारा अन्य विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण पप्पू उर्फ महेश पहाडी, अमित कुमार, विकास कुमार एवं विमल कुमार के विरुद्ध धारा–302, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया।

(4)– **सत्र परीक्षण सं0–992/2018 का संक्षिप्त विवरण :–**प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 05.08.2018 को समय लगभग 03.20 बजे बहद स्थान हिमगिरि तिराहे के पास थाना सिविल लाइन, जिला मुरादाबाद में उ 0 नि0 अजयपाल सिंह व उनके हमराही पुलिस बल द्वारा अभियुक्त पप्पू उर्फ पहाड़ी की जामा तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से दाहिने हाथ में पकड़े गये एक अदद तमंचा 315 बोर तथा एक खोखा कारतूस 315 बोर तथा बैग से दो तमन्चे 315 बोर व एक तमंचा 12 बोर तथा 7 कारतूस 315 बोर जिन्दा नाजायज बरामद किये गये।

(5)– उपरोक्त फर्द प्रदर्श क–13 के आधार पर अभियुक्त पप्पू उर्फ पहाड़ी के विरुद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया।

(6)– **सत्र परीक्षण सं0–993/2018 का संक्षिप्त विवरण :–**प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 13.08.2018 को समय लगभग 08 बजे बहद स्थान हड्डी मिल के पास भगवान दास के मकान के पीछे थाना सिविल लाइन, जिला मुरादाबाद में अजीत कुमार सिंह व उनके हमराहीयान पुलिस बल द्वारा अभियुक्त अमित कुमार के कब्जे से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस तथा एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

(7)– उपरोक्त फर्द के आधार पर अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया।

(8)– **सत्र परीक्षण सं0–994/2018 का संक्षिप्त विवरण :–**प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 05.08.2018 को समय लगभग 03.40 बजे बहद स्थान हिमगिरि तिराहे के पास, थाना सिविल लाइन, जिला मुरादाबाद में अभियुक्त महेश द्वारा उ 0 नि0 अजयपाल सिंह व उनके हमराही पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया गया जिससे वे बाल बाल बचे।

(9)– उपरोक्त फर्द के आधार पर अभियुक्त महेश के विरुद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया।

(10)– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तगण को आहूत किया गया। अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर धारा–207 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत प्रपत्रों की नकलें देने के उपरांत उक्त मामले माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय व परीक्षणीय होने के कारण उक्त मुकदमों को माननीय सत्र न्यायालय में परीक्षण हेतु दिनांक 13.12.2018 को उपार्पित किया गया, जिसके आधार पर दिनांक 13.12.2018 को सत्र परीक्षण सं0–991/2018, राज्य बनाम पप्पू उर्फ महेश पहाडी आदि, सत्र परीक्षण सं0–992/2018, राज्य बनाम महेश, सत्र परीक्षण सं0–993/2018, राज्य बनाम अमित कुमार एवं सत्र परीक्षण सं0–994/2018, राज्य बनाम महेश संस्थित हुए एवं जरिये अंतरण इस न्यायालय को परीक्षण हेतु प्राप्त हुए। उक्त सभी पत्रावलियों में समान साक्ष्य होने के कारण इन सभी प्रकरणों में दिनांक 19.01.2024 को एकजाई किये जाने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक 09.04.2025 के अनुपालन में उक्त सभी पत्रावलियाँ दिनांक 10.04.2025 को इस न्यायालय को सुपुर्द हुई। उक्त सभी पत्रावलियों में समान साक्ष्य होने के कारण यहाँ सभी पत्रावलियों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

(11)– उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर मौजूद प्रपत्रों के आधार पर सत्र परीक्षण सं0–991/2018 में अभियुक्तगण पप्पू उर्फ महेश पहाडी, अमित कुमार, विकास कुमार एवं विमल कुमार के विरूद्ध धारा–302/34, 120 बी भा0 दं0 सं0, सत्र परीक्षण सं0–992/2018 में अभियुक्त महेश के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम एवं सत्र परीक्षण सं0–994/2018 में अभियुक्त महेश के विरूद्ध धारा–307 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप दिनांक 14.08.2019 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–11, मुरादाबाद द्वारा विरचित किया गया, सत्र परीक्षण सं0–993/2018 में अभियुक्त अमित कुमार के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 28.11.2019 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2, मुरादाबाद द्वारा विरचित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की याचना की। अतः मामला वास्ते साक्ष्य अभियोजन नियत हुआ।

(12)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध विरचित उक्त आरोपों को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	अभियोजन साक्षी क्रमांक
1.	शाहिद	पी0 डब्लू0–1
2.	राशिद अली	पी0 डब्लू0–2
3.	अमित कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर	पी0 डब्लू0–3
4.	डॉ0 शशि कुमार	पी0 डब्लू0–4
5.	शहजाद	पी0 डब्लू0–5
6.	कां0 संगम कसाना	पी0 डब्लू0–6
7.	अजय पाल, उपनिरीक्षक	पी0 डब्लू0–7
8.	अली हसन	पी0 डब्लू0–8
9.	इसरार	पी0 डब्लू0–9
10.	मुकेश कुमार, हेड कां0	पी0 डब्लू0–10

11.	कां0 हरिकिशन	पी0 डब्लू0–11
12.	कां0 नवीनचन्द्र जोशी	पी0 डब्लू0–12
13.	सुनील चौधरी, निरीक्षक	पी0 डब्लू0–13
14.	अजीत कुमार सिंह, ए.सी.पी.	पी0 डब्लू0–14
15.	सुधीर पाल धामा, रिटायर्ड डिप्टी एस.पी.	पी0 डब्लू0–15
16.	राजेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक	पी0 डब्लू0–16

(13)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा जो प्रपत्र प्रदर्श के रूप में तथा जो माल मुकदमाती वस्तु प्रदर्श के रूप में साबित किये गये हैं, उनकी सूची निम्नानुसार है–

क्र.सं.	साक्षी का नाम व संख्या, जिसने साबित किया है।	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श संख्या
1.	शाहिद, पी0 डब्लू0–1	लिखित तहरीर	प्रदर्श क–1
2.	शाहिद, पी0 डब्लू0–1	पंचनामा	प्रदर्श क–2
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार, पी0 डब्लू0–3	एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–3
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार, पी0 डब्लू0–3	जी.डी. कायमी	प्रदर्श क–4
5.	डॉ0 शशी कुमार, पी0 डब्लू0–4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–5
6.	कां0 संगम कसाना, पी0 डब्लू0–6	फर्द बरामदगी माल मुकदमा (अभियुक्त महेश)	प्रदर्श क–6
7.	उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह पी0 डब्लू0–7	नक्शा नाश	प्रदर्श क–7
8.	उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह पी0 डब्लू0–7	फोटो नाश	प्रदर्श क–8
9.	उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह पी0 डब्लू0–7	चिट्ठी आर.आई.	प्रदर्श क–9
10.	उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह पी0 डब्लू0–7	चिट्ठी सी. एम.ओ.	प्रदर्श क–10
11.	उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह पी0 डब्लू0–7	नमूना मोहर	प्रदर्श क–11
12.	उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह पी0 डब्लू0–7	फर्द बरामदगी 315 बोर बुलट	प्रदर्श क–12
13.	उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह पी0 डब्लू0–7	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–13
14.	उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह पी0 डब्लू0–7	गिरफ्तारी मेमो	प्रदर्श क–14
15.	उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह पी0 डब्लू0–7	बरामद माल मुकदमाती	वस्तु प्रदर्श 1

			ता 44
16.	हेड कां0 मुकेश कुमार, पी0 डब्लू0–10	एफ.आई.आर. (मु0 अ 0 सं0–787/2018)	प्रदर्श क–15
17.	हेड कां0 मुकेश कुमार, पी0 डब्लू0–10	जी.डी. कायमी (मु0 अ 0 सं0–787/2018)	प्रदर्श क–11
18.	कां0 हरिकिशन, पी0 डब्लू0–11	एफ.आई.आर. (एस.टी.नं0–994/2018)	प्रदर्श क–12
19.	कां0 हरिकिशन, पी0 डब्लू0–11	जी.डी. कायमी (एस.टी.नं0–994/2018)	प्रदर्श क–13
20.	कां0 हरिकिशन, पी0 डब्लू0–11	एफ.आई.आर. (एस.टी.नं0–992/2018)	प्रदर्श क–14
21.	निरीक्षक सुनील चौधरी, पी0 डब्लू0–13	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–15
22.	निरीक्षक सुनील चौधरी, पी0 डब्लू0–13	आरोप पत्र सं0–525/2018	प्रदर्श क–16
23.	निरीक्षक सुनील चौधरी, पी0 डब्लू0–13	अनुमति पत्र	प्रदर्श क–17
24.	निरीक्षक सुनील चौधरी, पी0 डब्लू0–13	आरोप पत्र सं0–500/2018	प्रदर्श क–18
25.	ए.सी.पी. अजीत कुमार सिंह, पी0 डब्लू0–14	नक्शा नजरी का0 सं0–5/95	प्रदर्श क–19
26.	ए.सी.पी. अजीत कुमार सिंह, पी0 डब्लू0–14	फर्द कागज सं0–5/83	प्रदर्श क–20
27.	ए.सी.पी. अजीत कुमार सिंह, पी0 डब्लू0–14	फर्द कागज सं0–5/84	प्रदर्श क–21
28.	ए.सी.पी. अजीत कुमार सिंह, पी0 डब्लू0–14	फर्द कागज सं0–5/85	प्रदर्श क–22
29.	ए.सी.पी. अजीत कुमार सिंह, पी0 डब्लू0–14	नक्शा नजरी कागज सं0–5/94	प्रदर्श क–23
30.	ए.सी.पी. अजीत कुमार सिंह, पी0 डब्लू0–14	फर्द कागज सं0–5/87	प्रदर्श क–24
31.	ए.सी.पी. अजीत कुमार सिंह, पी0 डब्लू0–14	बरामद माल मुकदमाती	वस्तु प्रदर्श–45 ता 47
32.	रिटायर्ड डिप्टी एस.पी., पी0 डब्लू0–15	आरोप पत्र सं0–517/2018	प्रदर्श क–24
33.	उप निरीक्षक राजेन्द्र कुमार, पी0 डब्लू0–16	नक्शा नजरी कागज सं0–5/11	प्रदर्श क–25
34.	उप निरीक्षक राजेन्द्र कुमार, पी0 डब्लू0–16	आरोप पत्र सं0–514/2018 (एस.टी. नं0–993/2018)	प्रदर्श क–26

(14)– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए अपने विरूद्ध झूठा मुकदमा चलना बताते हुए उन्हें झूठा फंसाये जाने का कथन किया।

(15)– विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

(16)– सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षियों की मुख्य परीक्षा में आये तथ्यों का विवरण दिया जाना उचित हैः–

(17)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–1 शाहिद** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–मृतक साजिद उर्फ सद्दाम मेरा लड़का था। इसकी हत्या दिनांक 03.08.2018 को हुई थी। मैने अपने लड़के मृतक का झगड़ा विकास व विमल से होते हुए न देखा और न सुना। मेरे लड़के की लाश रेलवे फाटक के पास पड़ी थी। दो बच्चों ने मुझे घटना की सूचना दी थी। इस घटना (हत्या की घटना) को साजिद व राशिद ने देखा था। मैंने हत्या होते हुए नहीं देखी थी। जैसा मुझे साजिद व राशिद ने बताया था। वैसा ही मैंने रिपोर्ट में लिखाया था। मैंने सहजाद व राशिद के बताये अनुसार उक्त घटना के बारे में सहजाद हुसैन को मैंने बोल–बोलकर एक तहरीर लिखायी थी। तहरीर को पढ़वाकर सुनकर उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। पत्रावली में कागज संख्या–4/3 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो मैंने थाना सिविल लाइन्स पर दी थी। उस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर पहचाने। इस तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। यह तहरीर लिखाने के लिए मैं जब गया था। तब शव मोर्चरी पर रखा हुआ था। मोर्चरी पर दरोगा जी ने आकर शव का पंचायतनामा भरा था। मेरे सामने सील सर्वे मोहर किया था। पंचायतनामे को पढ़कर सुनाकर दरोगा जी ने मेरे हस्ताक्षर कराये थे। पत्रावली में कागज संख्या–5/8 व 5/9 पंचायतनामा को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर पहचाने। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे।

(18)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–2 राशिद अली** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–अब से करीब 3.5 वर्ष पूर्व की घटना है। उस दिन मेरे भाई सद्दाम की हत्या हुई थी। मुझे पुलिस ने हत्या की सूचना दी थी। उस समय मेरा भाई अस्पताल में थे। मेरे भाई सद्दाम का शव अस्पताल में मिला था, वहां पर शव का पोस्टमार्टम हुआ था। हमने पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर दफन कर दिया था। जिस समय यह घटना घटी थी, मैं अपने घर पर था। हड्डी मिल की तरफ नहीं जा रहा था। मैंने अपने भाई सद्दाम की हत्या करने वालों को नहीं देखा। मुझे पुलिस ने सी.सी.टी.वी. कैमरे में दिखाकर बदमाशों की पहचान भी नहीं करायी थी। मुझसे पुलिसवालों ने कोई पूछताछ नहीं की थी। **इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

(19)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–3 अमित कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–दिनांक 03/04–08–2018 को मेरी तैनाती थाना सिविल लाइन में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर थी। उस दिन में रात्रि पारी में कार्यरत था। उस दिन वादी शाहिद पुत्र नजीर अहमद, निवासी मौ0 दर्जयान हरथला थाना सिविल लाइन मुरादाबाद द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–787/2018, धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता बनाम विकास, विमल के विरुद्ध पंजीकृत किया। जिसका खुलासा मेरे द्वारा उसी दिन जी.डी. नंबर 07 समय 01.52 बजे दिनांक 04.08.2018 को सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट पर किया था। मुकदमे की स्पेशल रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारीगण को प्रेषित की गयी थी। गवाह ने पत्रावाली पर कागज संख्या–4/1 व 4/2 को देखकर कहा कि यह वही चिक एफ.आई.आर. है, जिसे मेरे द्वारा दिनांक 04.08.2018 को पंजीकृत किया गया था। एफ.आई.आर. पर इन्सपेक्टर साहब के हस्ताक्षर हैं। एफ.आई.आर. पर प्रदर्श क–3 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर कागज संख्या–5/28 को देखकर कहा कि यह वही कायमी जी.डी. है जो मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करते समय तैयार की गयी थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर तस्दीककर्ताओं जी.डी. पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

(20)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–4 डॉ0 शशी कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि– दिनांक 04.08.2018 को मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस पर थी। उस दिन मेरे द्वारा पोस्टमार्टम संख्या– 596/2018 में मृतक सद्दाम उर्फ साजिद पुत्र शाहिद निवासी हरथला थाना सिविल लाइन्स जिला मुरादाबाद पुरुष, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी, का मेरे द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। शव को एस.ओ. थाना सिविल लाइन मुरादाबाद द्वारा भेजा गया, जिसे कां0 सुमित राठी एवं नवीन जोशी समस्त प्रपत्र के साथ लेकर पोस्ट मार्टम हाउस आये थे। शव को प्राप्त करने का समय सुबह 10.30 बजे था। प्रपत्रों की संख्या–14 थी। शव का पोस्टमार्टम प्रारम्भ करने का समय 12.05 था तथा शव विच्छेदन 12.45 पी.एम. पर पूर्ण हुआ था। शव की पहचान शाहिद पुत्र नजीर अहमद एवं इसरार पुत्र साबिर हुसैन निवासी मौ0 दर्जियान थाना सिविल लाइन जिला मुरादाबाद द्वारा की गयी थी।

वाह्य परीक्षण–शव की लंबाई 162 सेमी0 व शारीरिक बनावट मोटी एवं एक अच्छी काठी थी। शरीर में अकड़न पूरे शरीर में थी। नेत्र व मुंह बन्द था। नाखूनों की दशा ठीक थी और दांतों की संख्या–15 वाई 15 थी। कपड़ों पर खून लगा हुआ था। बॉडी का एक्स–रे जिला अस्पताल मुरादाबाद में कराया गया था, जिसका नंबर 19171 था जो कि 4/8/2018 को हुआ था। उसकी दूसरी कॉपी प्रपत्र के साथ संलग्न थी।

चोट नंबर–1– आग्नेययास्त्र द्वारा किया गया घाव था। प्रवेश 2.5 cm X 2 cm गोलाई में था जो कि सिर के पीछे ऑक्सीपीटल एरिया में था। बांये कान के पीछे 8 सेमी0 नीचे की तरफ था। घाव के चारों तरफ विलेकनी टेटुइंग चार्मिंग घाव किनारा अन्दर की तरफ घुसा हुआ एवं घूमता हुआ(sittting of hair)

चोट नंबर–2– आग्नेयास्त्र का घाव एक्जिट साइड, जिसका साईज 2 cm X 1 cm गोली लिये हुए आर पार था जो कि चोट नंबर 1 आस पैथिलॉजी को चीरता हुआ। दांहिनी कान की तरफ निकल गया। घाव लेसरएटिड था।

चोट नंबर–3– आग्नेयास्त्र द्वारा थी, जिसका प्रवेश साईज 2 cm X 1.5 cm था, जो सीने को चीरते हुई अन्दर धस गयी थी जो कि दांहिनी साइड पीछे की तरफ थी, जिसका किनारा अन्दर की तरफ क्षेत्रावर था। घाव के चारों तरफ कालिमा लिये हुए था। यह घाव बांयी तरफ स्कवैला के नीचे था।

चोट नंबर–4–अग्नि शस्त्र घाव प्रवेश घाव जिसका साइज 1 cm X .5 cm फैक्ट्री डीप था जो बांयी तरफ सीने के 6 सेमी0 नीचे था और यह चोट 3 के नीचे था, जिसमें कालिमा और गोदना, चारमिंग जिसका किनारा बाहरी इन्क्रेटिड उसके नीचे एक मैटेलिंग बुलट धातु की गोली प्राप्त हुई थी, जिसको लिफाफे में सील करके एफ.एस.एल. के लिये एस.एस.पी. मुरादाबाद को भेजा था।

चोट नंबर–5– अग्नि शस्त्र द्वारा दांहिने घाव जिसका साइज 1 cm X .5 cm आरपार था जो लैनन को हृदय को चीरती हुई, जिसका किनारा बाहरी तरफ था। यह 3 सेमी0 दांहिनी तरफ निपिल के नीचे की तरफ था, जहां खून मौजूद था।

आन्तरिक परीक्षणः–मेरे द्वारा किया गया शव के आन्तरिक परीक्षण निम्न प्रकार था। मस्तिष्क पैल था, जिसका वजन 1200 ग्राम था। सिर की हड्डिया नॉर्मल थी। छाती का Pleura लैस्टूप्टि था। Pleura गुदा में लगभग 1.5 लीटर खून मौजूद था। दोनों फेफड़ों लैस्टप्टि था, जिनका वजन लगभग 600 ग्राम था। हृदय लैस्टेरिट था एवं खाली था। पेट पर कोई चोट का निशान नहीं था। पेट की अन्दर वाली झिल्ली से लगभग 1 लीटर खून मौजूद था, जिसकी अन्दर की पेट की त्वचा नॉर्मल थी। उसमें किसी प्रकार की बदवू नहीं आ रही थी। छोटी आँत में गैस थी और बड़ी आंते में मल मौजूद था। लीवर नॉर्मल था, जिसका वजन लगभग 1200 ग्राम था। गालविलेडर आधा भरा हुआ था। दोनों किडनी पैल थी, जिसका वजन 280 ग्राम था। शव का विलेटर खाली था। पीलिहा भरी हुई थी, जिसका वजन 150 ग्राम था। पैल्विका टिशू, पैल्विक बॉन ज्वाइन्ट ऑरगन नॉर्मल थे। शव की मृत्यु लगभग 1/2 दिन पूर्व हुई थी जिसका कारण शॉक एवं अत्यधिक खून निकल के कारण था जो कि फायर आर्म चोट के आने से संभव था। शव के

परीक्षण के समय जो उसके शरीर पर कपड़े थे, उसमें एक टी–शर्ट थी और एक बनियान थी और नेकर था, एक तावीज था, जिसमें टीशर्ट और बनियान में छेद थे और एक मटैलिक बुलट प्राप्त हुई थी। उसे सील करके लिफाफे में एस.एस.पी. महोदय को भेजा दिया। कां0 सुमित राठी व नवीन जोशी को शव व मैटेलिक बुलट मय प्रपत्र के सुपुर्द कर दिया गया। पोस्टमार्टम करते समय मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की थी जो पत्रावली पर कागज संख्या–5/88 ता 5/93 मौजूद जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।"

(21)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–5 शहजाद** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–साजिद उर्फ सद्दाम की हत्या हुए लगभग 4–5 साल हो गये। जब साजिद उर्फ सद्दाम की हत्या हुई थी। उस समय मैं हल्दौरे जिला बिजनौर में था। साक्षी का बयान उसके धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में दिलाया गया। साक्षी ने कहा कि मैंने कोई बयान धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पुलिस को नहीं दिया। **इस स्तर पर गवाह को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

(22)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–6 कां0 संगम कसाना** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–दिनांक 05.08.2018 को मैं थाना सिविल लाइन में बतौर कां0 के पद पर तैनात था। उस दिन मय एस.आई. अजयपाल सिंह, कां0 हरशद जैदी, कां0 जोगेन्द्र कुमार के साथ रपट नंबर 5 समय 2.52 बजे रवाना होकर तलाश वांछित अपराधी देखरेख क्षेत्र चौकी हरथला में मामूर थे। जब हम पुलिस वाले चौकी हरथला के पास कांठ रोड से हिमगिरी की ओर जाने वाले तिराहे पर पहुँचे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो बदमाश हिमगिरी से आदर्श कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं। इन्हीं बदमाशों के द्वारा विगत रात्रि में सद्दाम की हत्या की है। इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वाले झंझनपुर ढाल पर आये। गवाहान फराहम करने की कोशिश की गयी। रात्रि नावक्त होने के कारण गवाह नहीं मिले। इसलिए हम पुलिस वालों ने मय मुखबिर के आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इतमिनान किया कि किसी पर कोई नाजायज वस्तु नहीं है। मुखबिर को लेकर हिमगिरी तिराहे पर आये तो दो व्यक्ति आते हुए दिखायी दिये तो मुखबिर ने इशारा किया कि यही दो बदमाश हैं, जिन्होंने सद्दाम की हत्या की है और चला गया। हम पुलिस वालों ने झाड़ियों की आड़ लेकर दोनों के सड़क पर निकलते हुए जाने पर रुकने को कहा तो उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा कि महेश पुलिस है, गोली मार। जान से मार दे, नहीं तो पकड़े जायेंगे। इतने पर एक ने जान से मारने की नीयत से हम पुलिस वालों पर फायर किया। हम पुलिस वालों ने सिखाये गये तरीकों से अपना बचाव करते हुए मेरे व हमराहीगण द्वारा एक–एक फायर किया गया। दोनों बदमाश आदर्श कॉलोनी की तरफ भागे। एक बदमाश तिराहे से करीब 20 कदम दूरी पर आदर्श कॉलोनी की तरफ भागा, जिसका पीछा मेरे व कां0 जोगेन्द्र द्वारा किया गया। आर.टी.सैट द्वारा कन्ट्रोल रूप को सूचना दी गयी। फायरिंग बन्द होने पर हम पुलिसवालों ने एक बदमाश के करहाने की आवाज सुनी और सिखलाये हुए तरीके से कवरिंग करते हुए तिराहे से करीब 20 कदम की दूरी पर घायल अवस्था में पड़े बदमाश को समय करीब 3.20 बजे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम, पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम महेश पुत्र ईश्वर सिंह, निवासी हड्डी मील के पास हरथला (शक्ति नगर कॉलोनी) थाना सिविल लाइन बताया। जामा तलाशी से दांहिने हाथ से पकड़े एक अदद तमन्चा 315 बोर बरामद हुआ, जिसका हुलिया फर्द अनुसार है। बरामद हुए तमन्चे की नाल खोलकर देखा तो उसकी नाल में एक खोखा कारतूस, जिसकी पैन्दी पर 8 एम.एम. लिखा था और ताजा चलने की गंध आ रही थी। कन्धे पर लादे पिट्ठू बैग में जिसका रंग लाल व काला जिस पर सुपर टेटू का स्टील का रंग लगा है। बैग को खोलकर देखा गया तो बैग के अन्दर तन तमन्चा जिनमें दो तमन्चा 315 बोर तथा एक तमन्चा 12 बोर बरामद हुए, जिनका हुलिया फर्द अनुसार है। यह तमन्चे चालू हालत में थे व बैग की जेब से 7 कारतूस जिन्दा जिसके पेन्दी पर 8 एम.एम. लिखा है व एक कारतूस 12 बोर व रंग लाल जिसकी पैन्दी पर शक्तिमान 12 एक्सप्रेस लिखा हुआ है, बरामद हुआ तथा जेब से 100 रूपये के 123 नोट कुल 12,300/–रूपये बरामद हुए बरामदा तमन्चों व कारतूस रखने का लाइसेंस तलब किया

तो दिखाने से कासिर रहा। पूछताछ पर बताया कि जिस तमन्चे से आज फायर किया है और मेरे हाथ से बरामद हुआ है, उसी से मैंने व मेरे साथी विक्की सैनी निवासी डलब फाटक कटघर के साथ मिलकर सद्दाम की हत्या की थी। सद्दाम की हत्या की सुपारी विकास ने 50,000/–रूपये में ली थी। मुझसे बरामद रुपये वही हैं जो सुपारी में मिले थे। बरामदा तमन्चा व कारतूस को अलग अलग बरामदगी के अनुसार कब्जा पुलिस में लेकर सील सर्वे मोहर किया गया। नमूना मोहर बनाया गया। अभियुक्त महेश को गिरफ्तारी का कारण बताकर पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। वह घायल अवस्था में है। मुखबिर की सूचना पर मौके पर प्रभारी निरीक्षण अजीत सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रेमपाल सिंह एस.आई. राजेन्द्र सिंह व कां0 सुमित कुमार व कां0 ललित कुमार आ गये। सरकारी गाड़ी द्वारा घायल अभियुक्त को अस्पताल भिजवाया गया। अभियुक्त महेश ने भाग गये बदमाश का नाम विक्की बताया था। जिसका पीछा मैंने व कां0 जोगेन्द्र द्वारा किया गया था। रात्रि का फायदा उठाकर वह भाग गया। फर्द मौके पर ही कां0 जोगेन्द्र से बोल बोलकर कर एस.आई. अजयपाल द्वारा लिखायी गयी। गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकार आयोग व सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए गिरफ्तारी की गयी। फर्द टॉर्च की रोशनी में तैयार की गयी थी। फर्द बरामदगी की कार्बन प्रति अभियुक्त महेश को दी गयी। उक्त फर्द पर हमराहीयान गवाहान को व अभियुक्त महेश के अलामात बनवाये गये। पत्रावली एस.टी. 992/2018 में कागज संख्या–4/3, 4/4 फर्द बरामदगी कां0 जोगेन्द्र कुमार के लेख में है। यह फर्द बरामदगी की फोटोप्रति है, जिसकी मूल प्रति एस.टी. नंबर 994/2018 में संलग्न है। गवाह ने मूल नि0 फोटोप्रति का मिलान किया गया जो मूल के अनुसार है। फर्द पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर पहचाने और तस्दीक किये। इस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।"

(23)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–7 अजयपाल, उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–दिनांक 04.08.2018 को थाना सिविल लाइन पर चौकी प्रभारी हरथला के पद पर तैनात था। समय 1.52 ए.एम. पर मृतक सद्दाम पुत्र शाहिद, निवासी महौल्ला दर्जियान हरथला मुरादाबाद का पंचायतनामा भरा था। शव के पास उसके परिजन गमगीन हालत में बैठे हुए थे। मौजूद परिसर व रिश्तेदारों में से पंचांग नियुक्त किये गये थे। मृतक के शव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मृतक की पीठ में मौजूदा घाव से एक अदद बुलट निकलकर शव से अलग हो गयी थी, जिसको रुबरू गवाहान कब्जे में लेकर सील सर्वे मोहर किया और एक फर्द बरामदगी तैयार की। पंचों की राय पंचायतनामें पर पंचों द्वारा अंकित करायी गयी तथा पंचायतनामे पर मैंने अपनी राय अंकित करते हुए शव को सील सर्वे मोहर किया गया। पत्रावली पर कागज संख्या–5/8, 5/9 पंचायतनामा को देखकर गवाह ने बताया कि यह वहीं पंचायतनामा है जो मेरे द्वारा तैयार किया गया था। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। हस्ताक्षर तस्दीक करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–2 पूर्व से पड़ा हुआ है। पंचायतनामे के साथ अन्य प्रपत्र मेरे द्वारा तैयार किये गये थे। पत्रावली पर कागज संख्या–5/5 नक्शा नाश 5/6 फोटों नाश 5/10 चिट्ठी आर.आई. 5/11 चिट्ठी सी.एम.ओ. 5/17 नमूना मोहर मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। हस्ताक्षर तस्दीक करता हूँ, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11 डाला गया। पत्रावली पर कागज संख्या–5/89 फर्द बरामदगी एक 315 बोर बुलट जो मृतक के पीठ से बरामद हुआ था। मेरे द्वारा तैयार की गयी है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। हस्ताक्षर तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। दिनांक 05.08.2018 को मय व कां0 अरशद जैदी, कां0 जोगेन्द्र कां0 संगम कसाना के साथ थाने से रवाना होकर तलाश वांछित अपराधी में मामूर था। मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त पप्पू उर्फ महेश पहाड़ी पुत्र ईश्वर सिंह निवासी शक्ति नगर हरथला थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तमन्चा 315 बोर जिसकी नाल में खोखा फंसा था व अन्य दो तमन्चे 315 बोर मय सात जिन्दा कारतूस व एक तमन्चा 12 बोर बरामद हुए थे। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू उर्फ महेश पहाड़ी, उपरोक्त ने मुकदमा उपरोक्त की घटना का इकबाल करते हुए बताया कि जिस तमन्चे से आज फायर किया है जो मेरे हाथ से बरामद हुए है। इसी से ही मैंने व मेरे साथी विक्की सैनी के साथ मिलकर सद्दाम की हत्या की थी। सद्दाम की हत्या की सुपारी विकास ने 50,000/– रूपये में दी

थी तथा जो रुपये मेरे पास से बरामद हुए हैं, वह सुपारी के ही हैं। बरामद तमन्चा व कारतूस के संबंध में व मुठभेड़ के संबंध में पृथक अभियोग थाना सिविल लाईन में पंजीकृत कराये थे। जिसका अपराध संख्या–803/2018 है। उपरोक्त अभियुक्त को मैं अजयपाल सिंह, एस.आई. हमराहीगण कां0 अरशद जैदी, कां0 जोगेन्द्र कुमार, कां0 संगम कासना मय असलाह कारतूस के थाने से बहवाले रपट संख्या–5 समय 2.52 बजे दिनांक 05.08.2018 को रवाना हुए थे। मुखबिर से सूचना मिलने पर जनता के गवाहान फराहम किये गये, नहीं मिले। हम पुलिसवालों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि हमारे पास जुर्म से संबंधित कोई नाजायज वस्तु तो नहीं है। मुखबिर ने हिमगिरी तिराहे पर बताया कि हिमगिरी से आने वाले दो व्यक्ति जो दिखायी दे रहे हैं, उन्होंने सद्दाम की हत्या की थी। जब दोनों हमारी हद में आये तो उन्हें टोकते हुए रुकने का कह तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि महेश पुलिस है। मार गोली जान से मार दे नहीं तो पकड़े जायेंगे। इतने में एक व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से फायर किया। हम पुलिस वालों ने बचाव करते हुए। हम सभी पुलिस वालों ने उन बदमाशों पर फायर किया। दोनों बदमाश आदर्श कॉलोनी की और भागे, जिनका हमने पीछा किया तथा हमने आर.टी. सैट से कन्ट्रोल रूम को सूचना दी। एक बदमाश के करहाने की आवाज सुनी। पीछा करते हुए घायल अवस्था में 3.20 बजे पकड़ लिया। उसका नाम पता पूछते हुए उसकी जामा तलाशी ली तो उसने अपना नाम महेश पुत्र ईश्वर सिंह निवासी हड्डी मील के पास हरथला शक्ति नगर कॉलोनी थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद बताया। जामा तलाशी से उसके दांये हाथ से एक तमन्चा 315 बोर जिसका हुलिया फर्द के अनुसार है तथा बैग में तीन तमन्चे जो बयान में पूर्व में उल्लेखित करा दिये हैं। इनका हुलिया फर्द के अनुसार है। बरामद तमन्चों व कारतूस का लाईसेंस तलब किया तो महेश अभियुक्त दिखाने में कासिर रहा। उसने बताया कि जिस तमन्चे से आज फायर किया था, उसी से मैंने सद्दाम की हत्या की थी। बरामद तमन्चों व कारतूसों को अलग–अलग कपड़ों में रखकर सील सर्वे मोहर किया। नमूना मोहर बनाया तथा बरामद बैग को एक कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया। मुठभेड़ की सूचना पर आये। प्रभारी निरीक्षक व वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रेमपाल सिंह, उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह, कां0 सुमित कुमार, कां0 ललित कुमार के द्वारा अभियुक्त महेश को जिला अस्पताल ईलाज हेतु भिजवाया गया था। महेश ने भागे हुए अभियुक्त का नाम विक्की बताया। विक्की का पीछा कां0 संगम कासना, कां0 जोगेन्द्र द्वारा किया गया था। वह रात्रि का फायदा उठाकर भाग गया था। मेरे द्वारा फर्द कां0 जोगेन्द्र को बोल–बोलकर लिखायी थी। गिरफ्तारी व बरामदगी के दौरान मानवाधिकार व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया गया। फर्द मौके पर टॉर्च की रोशनी में तैयार की गयी। फर्द पर हमराहीयान द्वारा हस्ताक्षर किये गये व मैंने भी हस्ताक्षर किये थे। हस्ताक्षर की एक प्रति महेश को दी गयी और उसके हस्ताक्षर कराये गये। पत्रावली एस.टी. 994/2018 पर कागज संख्या–4/3 व 4/4 को देखकर गवाह ने बताया कि यह वही फर्द बरामदगी है जो हमने अभियुक्त महेश को गिरफ्तार करते समय व बरामदगी के समय मौके पर तैयार की थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर तस्दीक करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। अभियुक्त को ले जाकर अस्पताल ले जाकर प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार द्वारा इलाज हेतु भर्ती कराया गया। थाने पर बरामदा माल ले जाकर दाखिल किया गया तथा फर्द के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के परिजनों को सूचना दी गयी। पत्रावली पर कागज संख्या–7/12 अभियुक्त की गिरफ्तारी मेरे द्वारा तैयार की गयी। इस पर मेरे हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर तस्दीक करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–14 डाला गया। आज माल पुलिन्दे न्यायालय में पेश किये गये। न्यायालय की अनुमति से पहले एक पुलिन्दा खोला गया, जिसमें मृतक के पर्चा सात कपड़े निकले। उसमें हाफ लोवर, ब्राउन कलर, मेहरूल कलर का अन्डरवियर, एक बनियान, एक टी–शर्ट निकली। माल पुलिन्दे के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–1, हाफ लोवर पर वस्तु प्रदर्श–2, अन्डरवियर, वस्तु प्रदर्श–3, बनियान पर वस्तु प्रदर्श–5 उसी पुलिन्दे में दो लिफाफे निकले, जिसमें एक लिफाफा सादर मिट्टी और दूसरा खून आलूदा। मिट्टी का निकल उस पर वस्तु प्रदर्श क्रमशः 6 व 7 डाला गया। इसी पुलिन्दे में एक ताबिस कपड़े का निकला, जिस पर वस्तु प्रदर्श–8 डाला गया। दूसरा माल पुलिन्दा खोला गया, जिसमें बुलट 315 बोर निकली, यह बुलट मृतक सद्दाम की कमर से निकला था। इस पर वस्तु प्रदर्श–9 डाला गया तथा पुलिन्दे के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–10 डाला गया।

तीसरा माल पुलिन्दा खोला गया, जिसमें एक तमन्चा 315 बोर निकला। इसी पुलिन्दे में एक पारदर्शी पॉलिथीन में पाँच खोखा कारतूस निकले। इनमें से तीन पर ई.सी., ई.सी.–2, ई.सी.–3 पर्ची पर अंकित है तथा दो पर टी.सी.–1, टी.सी.–2 अंकित है। इस पुलिन्दे में दो और पुलिन्दे के कपड़े निकले। बाहरी पुलिन्दे के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–15, तमन्चे पर वस्तु प्रदर्श–16, पारदर्शी पॉलीथीन पर 17 और ई.सी.–1, ई.सी.–2, ई.सी. 3 पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–18, 19, 20 डाला गया। खोखा कारतूस टी.सी.–1, टी.सी.2 पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 21 व 22 डाला गया। अन्दर निकले पुलिन्दे के कपड़ों पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 23 व 24 डाला गया। चौथा माल पुलिन्दा खोला गया, जिसमं एक तमन्चा 12 बोर निकला पुलिन्दे के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–25 डाला गया। तमन्चे पर वस्तु प्रदर्श–26 डाला गया। पाँचवा माल पुलिन्दा खोला गया, जिसमें एक तमन्चा 315 बोर निकल। पुलिन्दे के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–27 डाला गया और तमन्चे पर वस्तु प्रदर्श–28 डाला गया। पुलिन्दा 6 खोला गया, जिसमें एक तमन्चा 315 बोर निकला। पुलिन्दे के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–29 डाला गया तथा तमन्चे पर वस्तु प्रदर्श–30 डाला गया। पुलिन्दा नंबर 7 खोला गया, जिसमें एक कपड़े में लिपटा हुआ 9 एम.एम. खोखा कारतूस निकला पुलिन्दे के कपड़े पर वस्तु पर लिपटे कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–32 व खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–33 डाला गया। पुलिन्दा नंबर 8 खोला गया, जिसमें एक 12 बोर का जिन्दा कारतूस और 7, 315 बोर के जिन्दा कारतूस निकले 12 बोर के कारतूस पर वस्तु प्रदर्श 34 और 315 बोर के कारतूसों पर वस्तु प्रदर्श 35 से 41 तक डाला गया और पुलिन्दा के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 42 डाला गया। पुलिन्दा नंबर व खोला गया, जिसमें एक बैग जिसका रंग गुलाबी और काला था, जिस पर सुपरटैक का स्टील का स्टीमर लगा है। पुलिन्दे के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 43 व बैग पर वस्तु प्रदर्श 44 डाला गया।"

(24)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–8 अली हसन** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–दिनांक 04.08.2018 को सद्दाम के गोली मारने की सूचना पर मैं व अन्य लोग मोर्च्यूरी पर गये थे। वहां पर दरोगा जी ने लाश को सील करके पंचायतनामे की कार्यवाही हमारे सामने की थी। मृतक सद्दाम की हत्या गोली मारकर की गयी थी। यह राय देकर मैंने दरोगा जी द्वारा भरे गये पंचायतनामे पर अंगूठा लगाया था। यह बयान मैंने दरोगा जी को दिया था। पत्रावली पर कागज संख्या–5/8, 5/9 पंचायतनामा गवाह को पढ़कर सुनाया और दिखाया तो गवाह ने बताया कि इन्हीं पंचायतनामो पर मैंने अपना अंगूठा लगाया था। पंचायतनामे पर प्रदर्श क–2 पूर्व में ही पड़ चुका है।"

(25)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–9 इसरार** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–"दिनांक 04.08.2018 को सद्दाम के गोली मारने की सूचना पर मैं व अन्य लोग मोरच्यूरी पर गये थे। वहां पर दरोगा जी ने लाश को सील करके पंचायतनामे की कार्यवाही हमारे सामने की थी। मृतक सद्दाम की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी। यह राय देकर मैंने दरोगा जी द्वारा भरे गये पंचायतनामे पर हस्ताक्षर किये थे। यह बयान मैंने दरोगा जी को दिये थे। पत्रावली पर कागज संख्या–5/8 व 5/9 पंचायतनामा गवाह को पढ़कर सुनाया और दिखाया तो गवाह ने कहा, यह वही पंचायतनामा है, जिस पर मैंने हस्ताक्षर किये थे, तस्दीक करता हूँ। पंचायतनामे पर प्रदर्श क–2 पूर्व से पढ़ चुका है।"

(26)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–10 हेड कां0 मुकेश कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–दिनांक 13.08.2018 को मैं थाना सिविल लाइन पर बतौर कां0 क्लर्क के पद पर नियुक्त था। उस दिन मेरी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कार्यालय में कार्यलेख पर ड्यूटी थी। मुझे वादी प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार के द्वारा तैयार की गयी फर्द बरामदगी आला कत्ल तमन्चा देशी 315 बोर जिसमें खोखा फंसा है तथा एक अदद जिन्दा कारतूस निशांदेही अभियुक्त अमित कुमार मुकदमा अपराध संख्या–787/2018 धारा–302, 120बी भारतीय दण्ड संहिता प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर मैंने सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट पर कां0 कमलेश गंगवार द्वारा अंकित करायी गयी थी। पत्रावली पर कागज

संख्या–4/1 व 4/2 चिक एफ.आई.आर. को देखकर गवाह ने बताया कि यह वही चिक एफ.आई.आर. है जो मेरे द्वारा सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट पर तैयार करायी गयी थी। तैयार कराने के बाद मैंने दिवस अधिकारी के हस्ताक्षर कराये थे। हस्ताक्षर तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया। उक्त चिक एफ.आई.आर. का खुलासा जी.डी. नंबर 33 समय 10.13 दिनांक 13.08.2018 पर किया था जो पत्रावली पर कागज संख्या–5/7 है, उस पर थाना कार्यालय की मोहर लगी हुई है और कां0 कमलेश गंगवार के हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया।"

(27)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–11 कां0 हरिकिशन** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–"दिनांक 04/05–08–2018 में मेरी नाईट ड्यूटी थाना कार्यालय पर थी। उस दिन मुझे समय करीब 6.25 बजे उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह द्वारा किता की गयी एक फर्द प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर मैंने मुकदमा अपराध संख्या–803/2018, अन्तर्गत धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता बनाम महेश के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। इसी फर्द के आधार पर मैंने 804/18, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम बनाम महेश के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। उक्त दोनों चिक एफ.आई.आर. का खुलासा मैंने जी.डी. संख्या 15 समय 06.26 दिनांक 05.08.2018 संख्या–4/1 ता 4/2 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही चिक एफ.आई.आर. जो मेरे द्वारा वादी एस.आई. अजयपाल सिंह के द्वारा की गयी फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर बोल बोल कर कम्प्यूटर ऑपरेटर मुकुल अग्रवाल से अंकित करायी थी। इस पर मैंने रात्रि अधिकारी के हस्ताक्षर कराये थे। हस्ताक्षर तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। एस.टी. 994/2018 में संलग्न कागज संख्या–5/3 जी.डी. कायमी को देखकर बताया कि यह वही जी.डी. कायमी है, जिसे मैंने कम्प्यूटर पर टाईप कराया था तथा थाने की मोहर लगायी थी, तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। पत्रावली एस.टी. 992/2018 में कागज संख्या 4/1 ता 4/2 को देखकर गवाह ने बताया कि यह वही चिक एफ.आई.आर. है जो मैंने एस.आई. अजयपाल सिंह की फर्द बरामदगी शब्द व शब्द बोलते हुए सी.सी.टी.एस. प्रोजेक्ट पर कम्प्यूटर ऑपरेटर मुकुल अग्रवाल से अंकित करायी थी, इस चिक एफ.आई.आर. पर रात्रि अधिकारी के हस्ताक्षर कराये थे। हस्ताक्षर तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।"

(28)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–12 कां0 नवीनचन्द्र जोशी** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–"दिनांक 04.08.2018 को मैं थाना सिविल लाईन पर बतौर कां0 तैनात था। उस दिन मृतक सद्दाम की हत्या की सूचना पर मैं निरीक्षक अजीत कुमार सिंह के निर्देशानुसार एस.आई. अजयपाल सिंह व कां0 सुमित राठी के साथ जिला अस्पताल मोर्चरी पर गया था। जहां पर एस.आई. अजयपाल सिंह के द्वारा शव को सील सर्वे मोहर किया गया। पंचायतनामा तैयार किया गया। शव को मुझे तथा कां0 सुमित राठी को सुपुर्द किया गया तथा पंचायतनामों प्रपत्र के साथ शव का पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु पोर्सटमार्टम हाउस पर भेजा गया था। शव लेकर पोस्टमार्टम हाउस पर आये तथा शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को उसके परिजनों की अन्तिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दिया था। डॉक्टर द्वारा दी गयी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि तीन लिफाफे सील सर्वे मोहर दिये गये थे, जिन्हें लाकर थाने पर दाखिल किये लाश को जैसी सील अवस्था में हमें सौंपा गया था। वैसे ही हमने शव को सील बन्द अवस्था में पोस्टमार्टम हाउस पर सुपर्द किया था।"

(29)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–13 सुनील चौधरी, निरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–"दिनांक 05–08–2018 को में थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। इसी दिनांक को मुकदमा अपराध संख्या 803/2018 धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, बनाम महेश की विवेचना प्रभारी निरीक्षक के आदेश से मुझे नकल चिक, नकल रपट लेकर प्राप्त हुयी थी, जिसमें पर्चा–1 किता करते हुये नकल फर्द, नकल रपट, का खुलासा किया और एफ० आई० आर० लेखक कां० हरिकिशन के बयान अंकित किये और वादी मुकदमा उप निरीक्षक अजय पाल सिंह के भी

बयान केस डायरी में अंकित किये गये। अभियुक्त महेश के भी बयान अंकित किये गये। दिनांक 06–08–2018 को पर्चा 2 किता किया गया, जिसमें फर्द गवाह कां० अरशद जैदी, कां० संगम कसाना, कां० जोगेन्द्र कुमार, और बयान गवाह प्रभारी निरीक्षक श्री अजीत कुमार सिंह व वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रेम पाल सिंह, उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह, कां० सुमित कुमार, कां० ललित कुमार और समई साक्ष्य भी अंकित किया गया। मैंने वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अजय पाल सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया और नक्शा–नजरी तैयार किया। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 5/16 नक्शा–नजरी को देखकर गवाह ने कहा कि यह मेरे द्वारा तैयार हस्तलेख व हस्ताक्षरित है। तस्दीक करता हूँ, इसपर प्रदर्श क–15 डाला गया। मैंने इस नक्शा नजरी का विवरण केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 10–08–2018 को पर्चा 3 व दिनांक 14–08–2018 को पर्चा 4 किता किया, जिनमें अभियुक्त विक्की के नाम पते की जानकारी की गयी, लेकिन कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। दिनांक 15–08–2018 को पर्चा 5 किता किया, जिसमें विक्की नाम के व्यक्ति की जानकारी की गयी, तो जानकारी हुयी कि विक्की सैनी जो एक सीधा साधा भला व्यक्ति है, पहले डबल फाटक पर रहता था, अब हरथला में कहीं रहता है। आस पडौस से जानकारी करने पर पता चला कि विक्की सैनी एक सीधा साधा भला व्यक्ति है। थाना हाजा पर जानकारी हुयी कि मु० अप० संख्या 787/2018 धारा 302 भा०दं०सं० में अभियुक्त महेश का दूसरा साथी अमित गिरफतार कर दिनांक 13–08–2018 को जेल भेजा जा चुका है, जिसने पूछताछ में सद्दाम की हत्या अपने साथी महेश के साथ करना बताया और महेश ने पुलिस को गुमराह करने की नीयत से अपने अन्य साथी का नाम विक्की सैनी गलत बताया। पर्चा नम्बर 6 दिनांक 20–08–2018 को किता किया गया, जिसमें मुकदमा वादी अजय पाल सिंह द्वारा तीन अद्द पुलिन्दें थाने पर दाखिल किये गये। उक्त सील माल मय नमूना मोहर फील्ड यूनिट द्वारा मुकदमा वादी को दिये गये थे, जिसमें मुकदमा वादी ने अपने मजीद बयान में बताया कि उक्त पुलिन्दें फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल के निरीक्षण वाले दिन मुझे वादी को दिये गये थे, जो मैंने आज कार्यालय में दाखिल किये हैं। पर्चा नम्बर 7 दिनांक 05–09–2018 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त महेश की मेडिकल रिपोर्ट की छाया प्रति, प्रतिपूरक रिपोर्ट मय एक्स–रे रिपोर्ट मय एक्स–रे प्लेट का अवलोकन किया गया। प्रतिपूरक रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि अभियुक्त महेश के दाहिने पैर में दोनों चोटें साधारण पायी गयी और कोई फैक्चर अंकित नहीं है। दूसरे अभियुक्त के नाम पते की सुरागरसी, पतारसी हेतु मुखबिर मामूर किये गये। पर्चा नम्बर 8 दिनांक 15–09–2018 को किता किया गया, जिसमें थाना कार्यालय से प्राप्त चार किता शपथ पत्र एक प्रार्थना पत्र शपथकर्ता राजू श्रीवास्तव एवं सन्तोष पाण्डये, मिले। शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर उसका केस डायरी में इन्दाज किया गया। शपथकर्ता राजू श्रीवास्तव एवं सन्तोष के थाने पर बयान अंकित किये गये, जिसमें शपथकर्ता द्वारा अपने शपथ पत्रों का समर्थन करते हुये बताया गया कि उक्त शपथ पत्र हमने अपनी स्वेच्छा से दिये हैं। विक्की सैनी जो सीधा साधा व्यक्ति है। दिनांक 05–08–2018 को प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक विक्की सैनी हमारे साथ सड़क पर टहल रहा था। पर्चा नम्बर 9 दिनांक 04–10–2018 को किता किया गया, जिसमें मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित तीन पुलिन्दें सील सर्व मोहर, तीन नमूना मोहर वास्ते परीक्षण लिये गये स्वावों में बारूद मौजूद है, की जानकारी हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा, में कां0 1268 मानु प्रताप को रवाना किया गया। पर्चा नम्बर 10 दिनांक 06–10–2018 को किता किया गया, जिसमें भेजे गये तीन पुलिन्दे सील सर्व मोहर व तीन नमूना मोहर की परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा की रिसीव प्रति प्राप्त हुयी। पर्चा नम्बर 11 दिनांक 11–10–2018 को कित्ता किया गया, जिसमें विक्की सैनी की तलाश, पतारसी, सुरागरसी की गयी तो जानकारी हुयी कि विक्की सैनी नाम का व्यक्ति सोनकपुर में राजू श्रीवास्तव के मकान में किराये पर रहता है। जहाँ पर विक्की सैनी मौजूद मिला, जिसके बयान अंकित किये गये, जिसने अपने बयानों में उक्त जुर्म से इन्कार करते हुये बताया कि मैं लगभग दो वर्ष से राजू श्रीवास्तव के मकान में किराये पर रहकर मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। मेरा इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही मेरी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है। पकड़े गये बदमाश महेश ने विक्की सैनी नाम अपने साथी को बचाने के लिये झूठा लिया होगा। अन्य कोई विक्की सैनी नाम पता की जानकारी नहीं हो पायी। डॉक्टर पवन कुमार के बयान अंकित किये गये, जिसमें डॉक्टर पवन कुमार द्वारा

अभियुक्त महेश की मेडिकल रिपोर्ट, सप्लीमेंटरी रिपोर्ट तैयार करना बताया और मजरूब के दाहिने पैर में फायर की दो चोटें आना बताया। उक्त चोटें साधारण किस्म की पायी गयी थीं पर्चा नम्बर 12 दिनांक 12–10–2018 को किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा तमामी विवेचना से अभियुक्त महेश के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या 525/2018, धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्त विक्की सैनी अज्ञात के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रही। आरोप पत्र पत्रावली कागज संख्या 3/1 ता 3/2 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही आरोप पत्र है, जो मेरे द्वारा सी०सी०टी०एन०एस० पर टाइप टाइप काकर अभियुक्त महेश के विरूद्ध दाखिल किया गया था, जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित करता हूँ। इसपर प्रदर्श क–16 अंकित किया गया। दिनांक 05–08–2018 को अपराध संख्या– 804/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम महेश की विवेचना ग्रहण की थी। जिसमें मेरे द्वारा पर्चा–1 किता करते हुये नकल फर्द, नकल रपट, का खुलासा किया और एफ० आई० आर० लेखक कां० हरिकिशन के बयान अंकित किये और बादी मुकदमा उप निरीक्षक अजय पाल सिंह के भी बयान केस डायरी में अंकित किये गये। अभियुक्त महेश के भी बयान अंकित किये गये। दिनांक 06–08–2018 को पर्चा–2 किता किया गया, जिसमें फर्द गवाह कां० अरशद जैदी, कां० संगम कसाना, कां० जोगेन्द्र कुमार, और बयान गवाह प्रभारी निरीक्षक श्री अजीत कुमार सिंह, व वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रेम पाल सिंह, उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह, कां० सुमित कुमार, कां० ललित कुमार, और समई साक्ष्य भी अंकित किया गया। मैंने वादी मुकदमा उप निरीक्षक अजय पाल सिंह की निशानदेही पर घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और नक्शा नजरी तैयार किया, जो नक्शा मु०अप०सं० 803/2018 में संलग्न है, जिसकी छाया प्रति अपराध संख्या 804/2018 में संलग्न है, जिसपर पूर्व से प्रदर्श क 15 अंकित है। मैंने इस नक्शा नजरी का विवरण केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 29–08–2018 को पर्चा 3 किता किया, जिसमें मेरे द्वारा श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय से आयुध अधिनियम के तहत अभियोग चलाये जाने हेतु अनुमति लेने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी। दिनांक 10–09–2018 को पर्चा 4 किता किया गया, जिसमें अभियोग चलाये जाने की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट महोदय से प्राप्त कर नकल किता की गयी। दिनांक 23–09–2018 को पर्चा 5 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त महेश के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या 500/2018, धारा 3/25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या–5/1 को देखकर कहा कि यह वही अनुमति पत्र है, जिसपर जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर है। प्रमाणित करता हूँ। इसपर प्रदर्श क 17 अंकित किया गया। साक्षी पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 3/1 ता 3/2 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही आरोप पत्र है, जो मेरे द्वारा सी०सी०टी०एन०एस० पर टाइप कराकर अभियुक्त महेश के विरूद्ध दाखिल किया गया था, जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित करता हूँ। इसपर प्रदर्श क 18 अंकित किया गया।"

(30)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु अभियोजन **साक्षी सं0–14 अजीत कुमार सिंह, ए0सी0पी0** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–"दिनांक 03.08.2018 को मैं बतौर प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाईन तैनात था। दिनांक 03.08.2018 की घटना के बावत दिनांक 04.08.2018 को रात्रि 01:42 बजे मु०अ०सं० 787/2018, धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता बनाम विमल आदि पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा ग्रहण की गई थी। दिनांक 04.08.2018 को सी0डी0–1 किता की गई, जिसमें मेरे द्वारा नकल एफ०आई०आर०, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक कम्प्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार पुत्र योगेन्द्र सिंह के बयान अंकित किये गये थे। उसके बाद थाने पर मौजूद मुकदमा वादी शाहिद, उम्र 46 वर्ष पुत्र नजीर अहमद, निवासी मौ० दर्जियान, हरथला, थाना सिविल लाईन, मुरादाबाद का बयान अंकित किया था। वादी ने तहरीर को तस्दीक किया। इसके उपरांत में प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीयान के जिला मोर्चरी अस्पताल आया था, वहां पर मृतक सद्दाम का शव रखा था। रात्रि में नावक्त होने के कारण पंचायतनामे की कार्यवाही सुबह की जायेगी और शव की सुरक्षा हेतु एस०आई० अजयपाल व दो कॉ० को छोड़ा गया। इसके उपरांत मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा वादी की

निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल किया गया तथा मौके से मृतक की मोटरसाइकिल, मोबाईल व मिट्टी सादा व खून आलूदा कब्जे में लिये गये थे व इनकी अलग–अलग फर्द तैयार की गई थी। घटनास्थल पर आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। इसके उपरांत मैं विवेचक मय हमराहीयान के मोर्चरी जिला अस्पताल आया था। परिवार वाले शोकाकुल थे, तो बयान देने की स्थिति में नहीं थे। एस०आई० अजयपाल सिंह द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही कर कॉ० सुमित राठी व नवीन जोशी को संपूर्ण कागजात व शव सुपुर्द कर पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया था। पंचायतनामे की कार्यवाही के दौरान मृतक की बॉडी के नीचे से 315 बोर का बुलेट मिला था, जिसकी फर्द एस०आई० अजयपाल द्वारा बनाई गई थी, जो संलग्न सी०डी० की गई थी। इसके उपरांत मुझ विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के मस्कन व संभावित स्थानों पर गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई। घटनास्थल से अभियुक्तगण को भागते हुए रास्ते में मकान मो० यासीन पुत्र अल्लाहबख्श, निवासी–हिमगिरी फाटक के पास गड्ढा कॉलोनी के मकान से सी०सी०टी०वी० फुटेज देखी थी, जिसमें दो बदमाश भागते हुए दिखाई दिये थे, जिसकी फुटेज प्राप्त की गई थी और उसके फोटो प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। नक्शा नजरी, जो वादी की निशानदेही पर मेरे द्वारा तैयार किया गया था, वह नक्शा–नजरी पत्रावली पर कागज सं0 5/95 के रूप में संलग्न है, नक्शा नजरी मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक करता हूं, नक्शा नजरी पर प्रदर्श क 19 अंकित किया गया। इस संबंध में फर्द बावत कब्जा पुलिस में लेने दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर की फर्द तैयार की गई थी, जो मैंने बोल–बोलकर एस०एस०आई० प्रेमपाल सिंह से लिखवायी थी, वह फर्द पत्रावली पर कागज सं0 5/83 के रूप में संलग्न है, जिस पर मेरे व अन्य गवाहों के हस्ताक्षर हैं, मैं तस्दीक करता हूं। फर्द पर प्रदर्श क–20 अंकित किया गया। इस संबंध में दूसरी फर्द मिट्टी सादा व खून आलूदा की भी बनाई गई थी, यह फर्द भी उक्त एस०एस०आई० प्रेमपाल सिंह के द्वारा मेरे बोलने पर लिखी गई थी, यह फर्द पत्रावली पर कागज सं0 5/84 के रूप में संलग्न है, जिस पर मेरे व अन्य गवाहों के हस्ताक्षर हैं, मैं तस्दीक करता हूं, फर्द पर प्रदर्श क–21 अंकित किया गया। इस संबंध में, एक और फर्द एक अदद मोटरसाइकिल व एक अदद मोबाईल के संबंध में, मेरे द्वारा बोल–बोलकर उ०नि० प्रेमपाल सिंह से लिखवायी गई थी। यह फर्द पत्रावली पर कागज सं0 5/85 के रूप में संलग्न है, जिस पर मेरे व अन्य गवाहों के हस्ताक्षर है, मैं तस्दीक करता हूं, फर्द पर प्रदर्श क–22 डाला गया तथा एक और फर्द, एक 315 बोर बुलेट चला हुआ, की बनाई गई थी, जो उ०नि० अजयपाल सिंह के द्वारा बनाई गई थी, यह फर्द पत्रावली पर कागज सं0 5/86 के रूप में संलग्न है, इस फर्द पर पूर्व में प्रदर्श क–12 अंकित है। नक्शा बरामदगी स्थल आलाकत्ल निशादेही अभियुक्त अमित कुमार के संबंध में नक्शा–नजरी मेरे द्वारा तैयार किया गया था। वह नक्शा–नजरी पत्रावली में कागज सं0–5/94 के रूप में संलग्न है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, मैं तस्दीक करता हूं। नक्शा–नजरी पर प्रदर्श क–23 डाला गया। दिनांक 05.08.18 को मेरे द्वारा सी0 डी0–2 का पर्चा किता किया गया था, जिसमें मैंने नकल तस्करा पूछताछ व बयान प्रतिवादी पप्पू उर्फ महेश पहाड़ी के अंकित किये थे और दिनांक 07.08.18 को मेरे द्वारा सीडी–3 का पर्चा किता किया गया था, जिसमें मैंने बयान फर्द गवाहान वाहिद नईम के अंकित किये थे और दिनांक 09.08.18 को मेरे द्वारा सी0 डी0–4 का पर्चा किता किया गया था, जिसमें मैंने मजीद बयान वादी शाहिद बयान एफ 0 आई 0 आर 0 राशिद स्वतंत्र बयान गवाह नानू उर्फ सलमान के अंकित किये थे और दिनांक 11.08.18 को मेरे द्वारा सी0 डी0–5 का पर्चा किता किया गया था, जिसमें मैंने मुकदमा वाला से संबंधित मूल पंचायतनामा उसका नकल व अवलोकन किया गया तथा मृतक सद्दाम की पी0 एम 0 आर 0 रिपोर्ट का अवलोकन कर संलग्न सी0 डी0 की और दिनांक 13.08.18 को मेरे द्वारा नकल तस्करा पूछताछ, नकल फर्द बरामदगी एक तमंचा 315 बोर की फर्द बनायी गयी थी वह फर्द पत्रावली में कागज सं0–5/87 के रूप में संलग्न है। इस फर्द पर अन्य गवाहों के अलावा मेरे भी हस्ताक्षर हैं, मैं तस्दीक करता हूं। फर्द की प्रमाणित प्रति पर प्रदर्श क–24 डाला गया व बयान अभियुक्त अमित कुमार के अंकित किये थे और दिनांक 16.08.18 को मेरे द्वारा सी0 डी0–7 का पर्चा किता किया गया था। जिसमें मैंने एफ 0 आई 0 आर 0 शहजाद व गवाहान पंचायतनामा इशरार, अली हसन, इशरत, अब्बास के बयान अंकित किये थे और बयान कां0 अमित राठी व कां0 नवीन जोशी के अंकित किये थे

और दिनांक 25.08.2018 के मेरे द्वारा सी0 डी0–8 का पर्चा किता किया गया था, जिसमें मैंने अभियुक्त विमल कुमार को गिरफ्तार किया था और दिनांक 10.09.2018 को मेरे द्वारा सी0 डी0–9 का पर्चा किता किया गया था, जिसमें मेरा थाना कटघर को स्थानांतरण होकर रवाना हो गया था। इस मुकदमे में संबंधित अभियुक्त अमित कुमार से जो माल/एक देशी तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ, वह आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है जो एक सफेद कपड़े के सीलबंद पुलिंदे में है और सफेद कपड़े के सीलबंद पुलिंदे के ऊपर थाने की इबारत लिखी है। सफेद कपड़े के ऊपर वस्तु प्रदर्श 45 डाला गया तथा माननीय न्यायालय की अनुमति से सीलबंद पुलिंदा खोला जा रहा है। पुलिन्दा खोलने के उपरांत पुलिंदे के अंदर एक पॉलीथीन है। पॉलीथीन के ऊपर वस्तु प्रदर्श–46 डाला गया और पॉलीथीन के अंदर एक देशी तमन्चा 315 बोर का मौजूद है, इस देशी तमंचे पर वस्तु प्रदर्श क–47 डाला गया। इस देशी तमंचे के अंदर एक खोखा कारतूस भी नाल में फंसा हुआ है।"

(31)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु अभियोजन **साक्षी सं0–15 सुधीर पाल धामा, रिटायर्ड एस.पी.** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–"मैं दिनांक 12.09.2018 को थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद में बतौर प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था और मैंने पूर्व में किता किये गये पर्चों का अवलोकन करते हुए तथा पूर्व विवचेक का स्थानांतरण हो जाने के कारण उक्त मुकदमे की विवेचना ग्रहण करते हुए उक्त दिनांक को ही सी0 डी0–10 का पर्चा किता किया और दिनांक 18.09.2018 को मेरे द्वारा सी0 डी0 11 का पर्चा किता किया गया, जिसमें मैंने नकल प्रार्थना पत्र एस 0 एस 0 पी0 महोदय मुरादाबाद तथा नकल शपथ पत्र विक्की कर संलग्न सी0 डी0 की और दिनांक 20.09.2018 को मेरे द्वारा सी0 डी0 12 का प्रचा किता किया गया, जिसमें मैंने बयान शपथकर्तागण सुरेंद्र कुमार व अनुज कुमार, सुनील कुमार व बयान प्रतिवादी विक्की के अंकित कर संलग्न सी0 डी0 किये और दिनांक 22.09.2018 को मेरे द्वारा सीडी 13 का पर्चा किता किया गया जिसमें मैंने बयान फर्द गवाहान उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह व का० संगम कसाना व का० अरशद जैदी व का० जोगेंद्र सिंह व बयान गवाह नौ० यासीन के अंकित कर संलग्न सीडी की और दिनांक 23.09.18 को मेरे द्वारा सीडी 14 का पर्चा किता किया गया जिसमें मैंने बयान फर्द गवाह उपनिरीक्ष प्रेमपाल सिंह व बयान पीएम कर्ता डॉ० शशि कुमार के बयान अंकित किये। और दिनांक 09.10.18 को मेरे द्वारा तमामी विवेचना व संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र सं0–517/18 दिनांक 09.10.18 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। वह आरोप पत्र पत्रावली में कागज सं०–3/1 ता 3/5 के रूप में संलग्न है। इस आरोप पत्र पर मेरे हस्ताक्षर भी हैं, मैं तस्दीक करता हूं। आरोप पत्र पर प्रदर्श क–24 डाला गया।"

(32)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु अभियोजन **साक्षी सं0–16 राजेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–"मैं दिनांक 13–08–2018 को थाना सि.ला. जनपद मुरादाबाद बतौर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था और उक्त दिनांक को ही मु.अ.सं. 849/2018 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम अमित कि विवेचना ग्रहण करायी गयी थी मैंने विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त उक्त दिनांक को ही सी.डी –01 का पर्चा किता किया था, जिसमे मैंने नकल चिक, नकल रपट, बयान FIR लेखक बयान वादी, बयान अभियुक्त अमित अंकित किये थे तथा पूछताछ तस्करा तथा 14 दिवस का रिमाण्ड भी मेरे द्वारा लिया गया था और दिनांक 14–08–2018 को मेरे द्वारा सी.डी.–2 का पर्चा किता किया गया था, जिसने बयान गवाह उप निरीक्षक प्रेमपाल सिंह तथा इन्हीं की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी मेरे द्वारा तैयार किया गया था। वह नक्शा–नजरी ST NO 993/2018 धारा 3/25 ए एक्ट की पत्रावली कागज सं0–5/11 के रूप में संलग्न है, नक्शा नजरी मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है मैं तस्दीक करता हूँ, नक्शा–नजरी पर प्रदर्श क–25 डाला गया तथा बयान सफायी साक्षय गवाहन सुखपाल सिंह व रवि के बयान अंकित संलग्न सी.डी किये थे और दिनांक 30–08–2018 को मेरे द्वारा सी.डी–3 का पर्चा किता किया गया था, जिसमे मैंने बयान गवाहन का० जोगेन्द्र कुमार, का० अरशद अली, चालक का० ललित कुमार के बयान अंकित कर संलग्न सी.डी. किये थे और दिनांक 20–09–2018 को मेरे द्वारा

सी.डी.–4 का पर्चा किता किया गया, जिसमे मैंने नकल आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद व नमूना मोहर प्रभारी निरीक्षक थाना सि० ला० नकल आर्मोहर कर संलग्न सी.डी किया और दिनांक 06–10–2018 को मेरे द्वारा सी.डी.–5 का पर्चा किला किया गया, जिसमें मैंने तमामी विवेचना व संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अमित कुमार पुत्र सोमवीर सिंह निवासी आजाद नगर निकट हड्डी मील थाना सि० ला० के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 514/2018 दिनांक 06–10 2018 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था, वह आरोप पत्र ST NO 993/2018 की पत्रावली में कागज सं0–3/1 व 3/2 के रूप में संलग्न है। इस आरोप पत्र पर मेरे हस्ताक्षर भी में तसदीक करता हूँ, आरोप पत्र पर प्रदर्श क–26 डाला गया। इस बात का तसकरा जी. डी में नहीं किया।"

(33)– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से साबित होता है। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन कथानक के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होते हैं तथा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाए।

(34)– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, अभियोजन की ओर से जो साक्षीगण परीक्षित कराये गए हैं, उनके साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण निर्दोष है तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(35)– प्रस्तुत मामले में अब यह देखा जाना है कि, क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है।

(36)– अवधार्य प्रश्न यह है कि, क्या अभियुक्त अमरजीत उर्फ पिन्टू द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण(मृतक) के साथ मिलकर दिनांक 16.03.2011 से 17.03.2011 के बीच सुबह 07.00 बजे से पहले, जिला मुरादाबाद के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चांदपुर गणेश गांव के जंगल में अपने सामान्य इरादे से आपराधिक षडयंत्र रचकर खिलेन्द्र सिंह उर्फ नन्हें की जानबूझकर या जानते बूझते हुए हत्या की तथा हत्या करने के उपरान्त साक्ष्यों को छिपा दिया गया ?

(37)– अभियोजन साक्षी सं0–1 शाहिद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतक साजिद उर्फ सद्दाम पी0 डब्लू0–1 का लड़का था। इसकी हत्या दिनांक 03.08.2018 को हुई थी। पी0 डब्लू0–1 ने अपने लड़के मृतक का झगड़ा विकास व विमल से होते हुए न देखा और न सुना। पी0 डब्लू0–1 के लड़के की लाश रेलवे फाटक के पास पड़ी थी। दो बच्चों ने पी0 डब्लू0–1 को घटना की सूचना दी थी। इस घटना (हत्या की घटना) को साजिद व राशिद ने देखा था। पी0 डब्लू0–1 ने हत्या होते हुए नहीं देखी थी। जैसा पी0 डब्लू0–1 को साजिद व राशिद ने बताया था, वैसा ही पी0 डब्लू0–1 ने रिपोर्ट में लिखाया था। पी0 डब्लू0–1 ने सहजाद व राशिद के बताये अनुसार उक्त घटना के बारे में सहजाद हुसैन को पी0 डब्लू0–1 ने बोल–बोलकर एक तहरीर लिखायी थी। तहरीर को पी0 डब्लू0–1 प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। तहरीर लिखाने के लिए पी0 डब्लू0–1 जब गया था, तब शव मोर्चरी पर रखा हुआ था। मोर्चरी पर विवेचक ने आकर शव का पंचायतनामा भरा था। पी0 डब्लू0–1 के सामने शव को सील सर्वे मोहर किया था। पंचायतनामे को पी0 डब्लू0–1 ने प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।

अभियोजन साक्षी सं0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–1 ने अपने लड़के साजिद उर्फ सद्दाम की हत्या की घटना अपनी आँखों से नहीं देखी थी। पी0 डब्लू0–1 ने शहजाद पुत्र दिलसाद हुसैन को खुद बोलकर रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। पी0 डब्लू0–1 हरथला में दर्जियान मौहल्ले का रहने वाला है। पी0 डब्लू0–1 को अपने लड़के की हत्या होने की सूचना 9.30 बजे रात्रि में मिली थी। दो छोटे छोटे बच्चों जिनकी उम्र 10–12 साल की होगी ने पी0 डब्लू0–1 के बेटे की हत्या की सूचना दी थी। पी0 डब्लू0–1 हड्डी मिल के फाटक पर गया था। जब पी0 डब्लू0–1 पहुँचा तो फाटक से 05–10

कदम दूर पी0 डब्लू0–1 के लड़के की लाश पड़ी थी। पी0 डब्लू0–1 के लड़के की लाश को पुलिस अस्पताल ले गयी थी। थाने में 11–12 बजे पहुँचकर पी0 डब्लू0–1 ने थाने पर रिपोर्ट लिखायी थी। पी0 डब्लू0–1 ने दरोगा जी को बयान में यह बताया था कि पी0 डब्लू0–1 ने अपने बेटे की हत्या होते हुए नहीं देखी थी। दो बच्चों ने पी0 डब्लू0–1 को सूचना हत्या की दी थी, जिनके नाम भी पी0 डब्लू0–1 को नहीं पता। पी0 डब्लू0–1 उन बच्चों की सूरत भी नहीं पहचान सका था और पी0 डब्लू0–1 को यह भी नहीं मालूम कि वह दोनों बच्चे कहां के थे।

अभियोजन साक्षी सं0–1 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि पी0 डब्लू0–1 शाहिद घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और पी0 डब्लू0–1 ने दिनांक 03.08.2018 को घटना घटित होते हुए नहीं देखी थी। पी0 डब्लू0–1 ने अपने प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में भी कथन किया है कि पी0 डब्लू0–1 ने विवेचक को दिये गये बयान में बताया था कि पी0 डब्लू0–1 ने घटना घटित होते हुए नहीं देखी थी। पी0 डब्लू0–1 ने तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है और पी0 डब्लू0–1 ने पंचायतनामे को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। पी0 डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–1 के लड़के की हत्या होते हुए साजिद व राशिद ने देखा था। अभियोजन पक्ष द्वारा साजिद को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है और पी0 डब्लू0–2 राशिद अली ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष द्वारा पी0 डब्लू0–2 राशिद अली को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

(38)– अभियोजन साक्षी सं0–2 राशिद अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अब से करीब 3.5 वर्ष पूर्व की घटना है, जब पी0 डब्लू0–2 के भाई सद्दाम की हत्या हुई थी। पी0 डब्लू0–2 को पुलिस ने हत्या की सूचना दी थी। उस समय पी0 डब्लू0–2 का भाई अस्पताल में था, जहां पर शव का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर दफन कर दिया था। जिस समय यह घटना घटी थी, पी0 डब्लू0–2 अपने घर पर था। हड्डी मिल की तरफ नहीं जा रहा था। पी0 डब्लू0–2 ने अपने भाई सद्दाम की हत्या करने वालों को नहीं देखा। पी0 डब्लू0–2 को पुलिस ने सी.सी.टी.वी. कैमरे में दिखाकर बदमाशों की पहचान भी नहीं करायी थी। पी0 डब्लू0–2 से विवेचक ने कोई पूछताछ नहीं की थी।

पी0 डब्लू0–2 राशिद अली ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष द्वारा पी0 डब्लू0–2 राशिद अली को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

अभियोजन साक्षी सं0–2 राशिद अली ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–2 हाजिर अदालत कटघरे में खड़े अभियुक्तगण को नहीं पहचानता है और न ही अभियुक्तगण को नाम से जानता है। पी0 डब्लू0–2 अभियुक्त विमल व पप्पू उर्फ महेश को भी नहीं जानता है। पी0 डब्लू0–2 नहीं बता सकता कि घटना किस समय की है। यह कहना गलत है कि पुलिस द्वारा मुझे सी.सी.टी.वी. कैरे की फुटेज दिखाई थी। यह कहना गलत है कि मैंने सी.सी.टी.वी. कैमरे में गोली मारने वाले बदमाश अमित कुमार व पप्पू उर्फ महेश पहाड़ी को देखा व पहचाना था । पी0 डब्लू0–2 राशिद अली ने विवेचक को धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, कैसे लिख दिया, पी0 डब्लू0–2 को नहीं पता है। पी0 डब्लू0–2 यह भी नहीं बता सकता कि पी0 डब्लू–2 के भाई की हत्या किसने की है और पी0 डब्लू0–2 यह भी नहीं बता सकता है कि पी0 डब्लू0–2 राशिद अली के भाई की हत्या कैसे हुई थी।

पी0 डब्लू0–2 राशिद अली के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि पी0 डब्लू0–2 राशिद अली घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और पी0 डब्लू0–1 ने दिनांक 03.08.2018 को घटना घटित होते हुए नहीं देखी थी। पी0 डब्लू0–2 घटना घटित होने के समय अपने घर पर था और हड्डी मिल की तरफ नहीं जा रहा था। पी0 डब्लू0–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–2 हाजिर अदालत अभियुक्तगण को नहीं पहचानता है और न ही अभियुक्तगण को नाम से जानता है। पी0 डब्लू0–2 यह भी नहीं बता सकता है कि पी0 डब्लू0–2 के भाई की हत्या किसने की है और पी0 डब्लू0–2 यह भी नहीं बता सकता है कि पी0 डब्लू0–2 के भाई की हत्या कैसे हुई थी। पी0 डब्लू0–2 राशिद अली ने

अपनी प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–2 ने विवेचक को धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। इस प्रकार पी0 डब्लू0–2 का न्यायालय के समक्ष दिया गया साक्ष्य विवेचक द्वारा लिखित धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के विरोधात्मक है। पी0 डब्लू0–2 राशिद अली ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष द्वारा पी0 डब्लू0–2 राशिद अली को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

(39) अभियोजन साक्षी सं0–3 अमित कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर जो कि चिक एफ.आई.आर. लेखक है, ने चिक एफ.आई.आर. को प्रदर्श क–3 एवं जी0 डी0 कायमी को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया।

(40) अभियोजन साक्षी सं0–4 डॉ0 शशी कुमार, जो कि पोस्टमार्टम करने का साक्षी है, ने अपने साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है।

(41)– अभियोजन साक्षी सं0–5 शहजाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि साजिद उर्फ सद्दाम की हत्या हुए लगभग 4–5 साल हो गये। जब साजिद उर्फ सद्दाम की हत्या हुई थी, उस समय पी0 डब्लू0–5 हल्दौरे जिला बिजनौर में था। पी0 डब्लू0–2 का बयान उसके धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में दिखाया गया। पी0 डब्लू0–2 ने कहा कि पी0 डब्लू0–2 ने कोई बयान धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पुलिस को नहीं दिया था।

पी0 डब्लू0–5 शहजाद ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष द्वारा पी0 डब्लू0–5 शहजाद को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

पी0 डब्लू0–5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–5 अगले दिन हल्दौर से आया था और पोस्टमार्टम हाउस पर गया था। वहां पर पी0 डब्लू0–5 को पता चला था कि सद्दाम के किसी ने गोली मार दी है, पर यह पता नहीं चला था कि किसने गोली मार दी है। पी0 डब्लू0–5 ने आज से पहले हाजिर अदालत अभियुक्तगण को कभी नहीं देखा।

पी0 डब्लू0–5 शहजाद के साक्ष्य से स्पष्ट है कि पी0 डब्लू0–5 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और पी0 डब्लू0–5 ने दिनांक 03.08.2018 को घटना घटित होते हुए नहीं देखी थी। पी0 डब्लू0–5 घटना घटित होने के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था बल्कि हल्दौरे जिला बिजनौर में था। पी0 डब्लू0–5 ने आज से पहले हाजिर अदालत अभियुक्तगण को कभी नहीं देखा था। पी0 डब्लू0–5 शहजाद ने अपनी प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–5 ने विवेचक को धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। इस प्रकार पी0 डब्लू0–5 का न्यायालय के समक्ष दिया गया साक्ष्य विवेचक द्वारा लिखित धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के विरोधात्मक है। पी0 डब्लू0–5 शहजाद ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष द्वारा पी0 डब्लू0–5 शहजाद को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

(42)– अभियोजन साक्षी सं0–6 कां0 संगम कसाना ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 05.08.2018 को अभियुक्त महेश को गिरफ्तार करने तथा अभियुक्त महेश की जामा तलाशी से दांहिने हाथ से पकड़े एक अदद तमन्चा 315 बोर तथा नाल में एक खोखा कारतूस, जेब से 100 रूपये के 123 नोट कुल 12,300/–रूपये बरामद होने तथा बरामद तमन्चा व कारतूस को अलग अलग बरामदगी के अनुसार कब्जा पुलिस में लेकर सील सर्वे मोहर करने तथा नमूना मोहर बनाये जाने का कथन किया गया है। पी0 डब्लू0–6 ने फर्द को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है।

पी0 डब्लू0–6 कां0 संगन कसाना ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह बात सही है कि माल मुकदमाती पी0 डब्लू0–6 के सामने न्यायालय में मौजूद नहीं है। यह बात सही है कि फर्द में नोटो के नंबर अंकित नहीं हैं। पी0 डब्लू0–6 को यह भी याद नहीं है कि नोट नये थे या पुराने थे। पी0 डब्लू0–6 को नहीं पता है कि उपरोक्त सारी चीजों का जी.डी. में इंद्राज था या नहीं। मौके पर नमूना मोहर तैयार किया गया था। यह बात सही है कि पत्रावली में नमूना मोहर नहीं है।

पी0 डब्लू0–6 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसके द्वारा अभियुक्त महेश को गिरफ्तार करने तथा उसके पास से तमन्चा व कारतूस तथा रूपये बरामद होने का कथन है, जबकि पी0 डब्लू0–6 ने अपनी प्रति–परीक्षा में कथन किया है कि माल मुकदमाती पी0 डब्लू0–6 के सामने न्यायालय में मौजूद नहीं है। पी0 डब्लू0–6 ने अपने साक्ष्य में यह बात स्वीकार की है कि फर्द में नोटो के नंबर अंकित नहीं हैं। मौके पर नमूना मोहर तैयार किया गया था परन्तु पत्रावली में नमूना मोहर नहीं है। इस प्रकार पी0 डब्लू0–6 के मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा के बयान में गंभीर विरोधभास है तथा प्रतिपरीक्षा में पी0 डब्लू0–6 ने अपने मुख्य परीक्षा के कथनों का समर्थन नहीं किया है अर्थात् मुख्य परीक्षा से इतर बयान प्रतिपरीक्षा में दिया है।

(43)– अभियोजन साक्षी सं0–7 अजयपाल, उपनिरीक्षक, यह साक्षी जो कि पंचायतनामा का साक्षी है, घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में नक्शा नाश को प्रदर्श क–7, फोटों नाश को प्रदर्श क–8, चिट्ठी आर.आई. को प्रदर्श क–9, चिट्ठी सी.एम.ओ. को प्रदर्श क–10, नमूना मोहर को प्रदर्श क–11 के रूप में साबित किया है। फर्द बरामदगी एक 315 बोर बुलट जो मृतक के पीठ से बरामद हुआ था, को प्रदर्श क–12 एवं अभियुक्त महेश को गिरफ्तार करते समय मौके पर तैयार की गयी फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–13 एवं गिरफ्तारी मैमो को प्रदर्श क–14 के रूप में साबित किया है। माल पुलिन्दे के कपड़े को वस्तु प्रदर्श–1, हाफ लोवर को वस्तु प्रदर्श–2, अन्डरवियर को वस्तु प्रदर्श–3, बनियान को वस्तु प्रदर्श–5, उसी पुलिन्दे में दो लिफाफे निकले, जिसमें एक लिफाफा साद मिट्टी और दूसरा खून आलूदा। मिट्टी को निकाल कर उस को वस्तु प्रदर्श क्रमशः 6 व 7 के रूप में, एक ताबिस कपड़े को वस्तु प्रदर्श–8, बुलट 315 को वस्तु प्रदर्श–9, पुलिन्दे के कपड़े को वस्तु प्रदर्श–10, तीसरा माल पुलिन्दा खोला गया, जिसमें एक तमन्चा 315 बोर तथा एक पारदर्शी पॉलिथीन में पाँच खोखा कारतूस तथा पुलिन्दे के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–15, तमन्चे पर वस्तु प्रदर्श–16, पारदर्शी पॉलीथीन पर 17 और ई.सी.–1, ई.सी.–2, ई.सी. 3 पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–18, 19, 20, खोखा कारतूस टी.सी.–1, टी.सी.2 को क्रमशः वस्तु प्रदर्श 21 व 22, अन्दर निकले पुलिन्दे के कपड़ों को क्रमशः वस्तु प्रदर्श 23 व 24 , चौथा माल पुलिन्दा खोला गया, जिसमें एक तमन्चा 12 बोर निकला, पुलिन्दे के कपड़े को वस्तु प्रदर्श–25 डाला गया। तमन्चे को वस्तु प्रदर्श–26, पाँचवा माल पुलिन्दा खोला गया, जिसमें एक तमन्चा 315 बोर निकला। पुलिन्दे के कपड़े को वस्तु प्रदर्श–27, तमन्चे को वस्तु प्रदर्श–28, पुलिन्दे के कपड़े को वस्तु प्रदर्श–29 तथा तमन्चे को वस्तु प्रदर्श–30, पुलिन्दा नंबर 7 खोला गया, जिसमें एक कपड़े में लिपटा हुआ 9 एम.एम. खोखा कारतूस निकला पुलिन्दे के कपड़े को वस्तु पर लिपटे कपड़े को वस्तु प्रदर्श–32 व खोखा कारतूस को वस्तु प्रदर्श–33, पुलिन्दा नंबर 8 खोला गया, जिसमें एक 12 बोर का जिन्दा कारतूस और 7, 315 बोर के जिन्दा कारतूस निकले 12 बोर के कारतूस को वस्तु प्रदर्श 34 और 315 बोर के कारतूसों को वस्तु प्रदर्श 35 से 41 तक और पुलिन्दा के कपड़े को वस्तु प्रदर्श 42, पुलिन्दा नंबर व खोला गया, जिसमें एक बैग जिसका रंग गुलाबी और काला था, जिस पर सुपरटैक का स्टील का स्टीमर लगा है। पुलिन्दे के कपड़े को वस्तु प्रदर्श 43 व बैग को वस्तु प्रदर्श 44 के रूप में साबित किया है।

अभियोजन साक्षी सं0–7 अजयपाल, उपनिरीक्षक ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पंचायतनामे के गवाहान ने किसी ने भी मुझे सद्दाम के हत्यारों का हुलिया या नाम नहीं बताया था।

अभियोजन साक्षी सं0–7 अजयपाल, उपनिरीक्षक औपचारिक साक्षी है, जिसने अपने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि पंचायतनामे के गवाहान ने किसी ने भी पी0 डब्लू0–7 को सद्दाम के हत्यारों का हुलिया या नाम नहीं बताया था।

(44)– अभियोजन साक्षी सं0–8 अली हसन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 04.08.2018 को सद्दाम के गोली मारने की सूचना पर पी0 डब्लू0–8 व अन्य लोग मोर्च्यूरी पर गये थे। वहां पर विवेचक ने लाश को सील करके पंचायतनामे की कार्यवाही हमारे सामने की थी। मृतक सद्दाम की हत्या गोली मारकर की गयी थी।

पी0 डब्लू0–8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह कहना सही है कि पी0 डब्लू0–8 के सामने सद्दाम की हत्या गोली मारकर नहीं की गयी। यह बात सही है कि पी0 डब्लू0–8 को विवेचक ने अंगूठा लगाने को कहा तो पी0 डब्लू0–8 ने अंगूठा लगा दिया। पी0 डब्लू0–8 पढ़ा लिखा नहीं है। पी0 डब्लू0–8 को नहीं मालूम कि पंचायतनामे पर क्या क्या लिख रखा था। यह बात सही है कि विवेचक ने पी0 डब्लू0–8 के कई कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिये थे।

पी0 डब्लू0–8 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि पी0 डब्लू0–8 के सामने मृतक सद्दाम की हत्या गोली मारकर नहीं की गयी थी। यह बात सही है कि विवेचक ने पी0 डब्लू0–8 के कई कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिये थे।

(45)– अभियोजन साक्षी सं0–9 इसरार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 04.08.2018 को सद्दाम के गोली मारने की सूचना पर पी0 डब्लू0–9 व अन्य लोग मोरच्यूरी पर गये थे। वहां पर विवेचक ने लाश को सील करके पंचायतनामे की कार्यवाही हमारे सामने की थी। मृतक सद्दाम की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी। यह राय देकर पी0 डब्लू0–9 ने विवेचक द्वारा भरे गये पंचायतनामे पर हस्ताक्षर किये थे।

पी0 डब्लू0–9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह कहना सही है कि पी0 डब्लू0–9 के सामने सद्दाम की हत्या गोली मारकर नहीं की गयी थी। यह बात सही है कि पी0 डब्लू0–9 से विवेचक ने हस्ताक्षर करने को कहा तो पी0 डब्लू0–9 ने पंचायतनामे पर हस्ताक्षर कर दिये थे। यह बात सही है कि विवेचक ने पी0 डब्लू0–9 से कई कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे।

पी0 डब्लू0–9 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि पी0 डब्लू0–9 के सामने मृतक सद्दाम की हत्या नहीं की गयी थी। यह बात सही है कि विवेचक ने पी0 डब्लू0–9 के कई कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिये थे।

(46)– अभियोजन साक्षी सं0–10 हेड कां0 मुकेश कुमार, यह साक्षी जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का लेखक है, ने अपने बयान में एफ.आई.आर. को प्रदर्श क–15, एफ.आई.आर. का खुलासा जी.डी. को प्रदर्श क–11 डाला गया।

(47)– अभियोजन साक्षी सं0–11 कां0 हरिकिशन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुकदमा अपराध संख्या–803/2018, अन्तर्गत धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता बनाम महेश के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। इसी फर्द के आधार पर मैंने 804/18, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम बनाम महेश के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। उक्त दोनों चिक एफ.आई.आर. का खुलासा पी0 डब्लू0–11 ने जी.डी. संख्या 15 एफ.आई.आर. को प्रदर्श क–12, एस.टी. 994/2018 में संलग्न जी.डी. कायमी को प्रदर्श क–13, एस.टी. 992/2018 में चिक एफ.आई.आर. को प्रदर्श क–14 के रूप में साबित किया है।

पी0 डब्लू0–11 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पी0 डब्लू0–11 को इस घटना के तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि यह साक्षी का घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

(48)– अभियोजन साक्षी सं0–12 कां0 नवीनचन्द्र जोशी, यह साक्षी शव का पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु शव को पोस्टमार्टम हाउस पर लेकर गया था।

(49)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु **अभियोजन साक्षी सं0–13 सुनील चौधरी, निरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में घटनास्थल के नक्शा–नजरी को प्रदर्श क–15, आरोप पत्र कागज संख्या 3/1 ता 3/2 को प्रदर्श क–16, कागज संख्या–5/1 अनुमति पत्र को प्रदर्श क 17 एवं आरोप पत्र संख्या 500/2018, धारा 3/25 आयुध अधिनियम को प्रदर्श क 18 के रूप में साबित किया। अभियुक्त अमित ने सह अभियुक्त महेश के साथ

हत्या के सम्बन्ध में जो जुर्म इकबाल विवेचक के सामने किया है, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं है।

(50)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु अभियोजन **साक्षी सं0–14 अजीत कुमार सिंह, ए0सी0पी0** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा–नजरी कागज सं0 5/95 को प्रदर्श क 19, फर्द बावत कब्जा पुलिस में लेने दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर कागज सं0 5/83 को प्रदर्श क–20, दूसरी फर्द मिट्टी सादा व खून आलूदा कागज सं0 5/84 को प्रदर्श क–21, एक और फर्द एक अदद मोटरसाइकिल व एक अदद मोबाईल कागज सं0 5/85 को प्रदर्श क–22 तथा एक और फर्द, एक 315 बोर बुलेट कागज सं0 5/86 को प्रदर्श क–12, नक्शा बरामदगी स्थल आलाकत्ल कागज सं0–5/94 को प्रदर्श क–23, नकल फर्द बरामदगी एक तमंचा 315 बोर, कागज सं0–5/87 को प्रदर्श क–24 तथा मुकदमे में संबंधित अभियुक्त अमित कुमार से जो माल/एक देशी तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ था, के सीलबंद पुलिंदे को वस्तु प्रदर्श 45, पुलिंदे के अंदर की पॉलीथीन को वस्तु प्रदर्श–46 तथा पॉलीथीन के अंदर निकले एक देशी तमन्चा 315 बोर को वस्तु प्रदर्श क–47 के रूप में साबित किया गया।

अभियोजन साक्षी सं0–14 अजीत कुमार सिंह, ए0सी0पी0 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि अभियुक्त अमित से जिस स्थान पर तमंचा बरामद हुआ था वहां पर तीन मकान हैं और खाली प्लॉट तथा पूर्व में हड्डी मिल है। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों में से किसी को पी0 डब्लू0–14 ने तमंचे की बरामदगी का गवाह नहीं बनाया था। तमंचा यशपाल दास के मकान के पिछले हिस्से से बरामद हुआ था। फर्द बरामदगी में तमंचे के हुलिये में तमंचे का रंग निकिल किया हुआ दर्ज नहीं है। आज न्यायालय में जो तमंचा पेश किया गया है वो जाम हुई हालत में है तथा पूरा नहीं खुल रहा है। आज न्यायालय में तमंचा इस हालत में नहीं है कि नाल से खोखा कारतूस बाहर निकल सके। आज न्यायालय में तमंचा जिस पॉलीथीन के थैले में रखा हुआ तथा सीलबंद खोला गया तमंचा बरामदगी के समय इसी हालत में था। बरामद तमंचे को पी0 डब्लू0–14 ने विशेषज्ञ को जांच के हेतु नहीं भेजा था। तमंचे को सील किये गये कपड़े पर ऐसी कोई लिखित इबारत नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि बरामद तमंचे की विशेषज्ञ द्वारा जांच की गयी या नहीं। पत्रावली पर फोटोग्राफ संख्या 5/1 तथा 5/2 सीसीटीबी से लिये गये फोटोग्राफ हैं। ये फोटोग्राफ जिस सीसीटीबी कैमरे के हैं वो हत्या वाले घटना स्थल से लगभग 700 मीटर दूर पर होगा। जो घटना स्थल से पूरब दिशा में है। घटना स्थल से सीसीटीवी वाले स्थान के बीच में काफी मकानात हैं तथा कई सड़कें हैं। दोनों फोटोग्राफ में जो लोग जाते दिख रहे हैं उनकी सूरत स्पष्ट नहीं है और न ही तमंचे दिखाई दे रहे हैं। इन फोटोग्राफ से ये स्पष्ट नहीं है कि ये अभियुक्त पप्पू महेश उर्फ पहाड़ी तथा अभियुक्त अमित के हो। पंचायतनामा शव का भरते समय की समस्त कार्यवाही के दौरान पी0 डब्लू0–14 को किसी ने ये नहीं बताया था कि हत्या अभियुक्तगण के द्वारा की गयी थी। ये कहना गलत है कि मैंने सही विवेचना न की हो और सुनी सुनायी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को इस मुकदमे में अभियुक्त बनाया हो। मैंने इस मुकदमे में विमल और विकास को गिरफ्तार किया था। इन अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से संबंधित जीडी पत्रावली में नहीं है। जब पी0 डब्लू0–14 ने विकास को गिरफ्तार किया था तो वहां से पब्लिक आ जा रही थी कुछ व्यक्ति वहां रुके हुए भी थे कितने थे उसे ध्यान नहीं है। विमल का घर आबादी में आदर्श कालोनी में है। मुझे ध्यान नहीं है कि विमल के घर के आस पास किसके मकान थे।

अभियोजन साक्षी सं0–14 अजीत कुमार सिंह, ए0सी0पी0 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि पी0 डब्लू0–14 ने अभियुक्त अमित से जिस स्थान पर तमंचा बरामद होना बताया है, वहां पर तीन मकान हैं और पूर्व में हड्डी मिल है, आस पड़ोस में लोग रहते हैं और यशपाल दास का मकान है, फिर भी पी0 डब्लू0–14 ने तमंचे की बरामदगी के सन्दर्भ में इनमें से किसी का भी स्वतंत्र साक्षी के रूप में बयान नहीं लिया था। अभियोजन पक्ष द्वारा भी यशपाल दास और वहाँ पर मकानों में रहने वाले किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। न्यायालय के समक्ष जो तमंचा पेश किया गया है वो जाम हुई हालत में है तथा पूरा नहीं खुल रहा है। सीसीटीवी के फोटोग्राफ में जो लोग जाते दिख रहे हैं उनकी

सूरत स्पष्ट नहीं है और न ही तमंचे दिखाई दे रहे हैं। इन फोटोग्राफ से ये स्पष्ट नहीं है कि ये अभियुक्त पप्पू महेश उर्फ पहाड़ी तथा अभियुक्त अमित के हो। पी0 डब्लू0–14 ने जब अभियुक्तगण विमल और विकास को गिरफ्तार किया था तब वहाँ पर पब्लिक आ जा रही थी कुछ व्यक्ति वहां रुके हुए भी थे और विमल का घर आबादी में आदर्श कालोनी में है, फिर भी पी0 डब्लू0–14 ने किसी भी व्यक्ति को उक्त घटना का स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया।

(51)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु अभियोजन **साक्षी सं0–15 सुधीर पाल धामा, रिटायर्ड एस.पी.** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में आरोप पत्र सं0–517/18 कागज सं०–3/1 ता 3/5 को प्रदर्श क–24 के रूप में साबित किया।

अभियोजन साक्षी सं0–15 सुधीर पाल धामा, रिटायर्ड एस.पी. ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना स्थल पी0 डब्लू0–15 द्वारा नहीं देखा गया था। इस समय पी0 डब्लू0–15 संख्या नहीं बता सकता कि पब्लिक के कितने गवाह थे।

(52)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु अभियोजन **साक्षी सं0–16 राजेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में उप निरीक्षक प्रेमपाल सिंह की निशांदेही पर बनाये गये नक्शा–नजरी ST NO 993/2018 धारा 3/25 ए एक्ट कागज सं0–5/11 को प्रदर्श क–25, अभियुक्त अमित के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 514/2018 ST NO 993/2018, कागज सं0–3/1 व 3/2 को प्रदर्श क–26 के रूप में साबित किया।

अभियोजन साक्षी सं0–16 राजेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि विवेचना के दौरान अमित पुत्र सोमवीर सिंह का नाम खुला था और उसे अभियुक्त बनाया गया था। अजीत सिंह ने घटना स्थल के आस–पास जनता के गवाह बनाने का काफी प्रयास किया परन्तु भलाई – बुराई के कारण किसी भी व्यक्ति ने नाम पता नहीं बताया था और न ही कोई गवाही देने को तैयार हुआ था। जहाँ तमंचा बरामद हुआ था वह कालोनी में जाने वाली सड़क है। कालोनी के लोग उस सड़क से आते जाते है। आर्मोर की रिर्पोट में तमंचा का हुलिया दर्ज नहीं है आर्मोर की परफोर्मा की रिर्पोट जिस पर आर्नोर के हस्ताक्षर है।

अभियोजन साक्षी सं0–16 राजेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि जिस स्थान से तमंचा बरामद होना बताया गया है वह कालोनी में जाने वाली सड़क है और कॉलोनी के लोग उस सड़क से आते जाते हैं। इस प्रकार जिस स्थान से तमंचा बरामद होना बताया गया है, वह एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। घटनास्थल पर लोगों का आना जाना होते हुए भी किसी भी व्यक्ति को तमंचा बरामदगी का स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है। आर्मोर की रिर्पोट में तमंचा का हुलिया दर्ज नहीं है।

(53)– विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुरादाबाद की रिपोर्ट कागज सं0–19 बी में परीक्षण परिणाम के अन्तर्गत वस्तु (1) से (6) पर मानव रक्त पाया गया है परन्तु किसी भी साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किया जाना नहीं बताया गया है और घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

(54)– उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष सत्र परीक्षण सं0–991/2018 में अभियुक्तगण पप्पू उर्फ महेश पहाडी, अमित कुमार, विकास कुमार एवं विमल कुमार के विरूद्ध धारा–302/34, 120 बी भा0 दं0 सं0, सत्र परीक्षण सं0–992/2018 में अभियुक्त महेश के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम, सत्र परीक्षण सं0–993/2018 में अभियुक्त अमित कुमार के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम एवं सत्र परीक्षण सं0–994/2018 में अभियुक्त महेश के विरूद्ध धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपित आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः सभी अभियुक्तगण सन्देह का लाभ पाते हुए उक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

सत्र परीक्षण सं0–991/2018 में अभियुक्तगण पप्पू उर्फ महेश पहाडी, अमित कुमार, विकास कुमार एवं विमल कुमार को धारा–302/34, 120 बी भा0 दं0 सं0 के दण्डनीय आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण सं0–992/2018 में अभियुक्त महेश को धारा–3/25 आयुध अधिनियम के दण्डनीय आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण सं0–993/2018 में अभियुक्त अमित कुमार के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम के आरोप सें संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण सं0–994/2018 में अभियुक्त महेश को धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण उक्त मामलों में दौरान विचारण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के जमानतनामें निरस्त करते हुये प्रतिभूगण को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 ए दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत प्रतिभू अन्दर सप्ताह दाखिल करे जो निर्णय की तिथि से आगामी छः माह के लिए प्रभावी होंगें।

इस निर्णय की प्रति संबंधित सत्र परीक्षण संख्या–992/2018, सत्र परीक्षण संख्या–993/2018 एवं सत्र परीक्षण संख्या–994/2018 में रखी जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 11.03.2026

(सन्दीप गुप्ता–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–3,
मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः 11.03.2026

(सन्दीप गुप्ता–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–3,
मुरादाबाद।